Meaning of Parliament

Constitutional Provision

Article 79 of the Indian Constitution provides for the **Parliament of India**.

भारत संघ का सर्वोच्च विधायी अंग संसद है। यह कानून बनाने, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने तथा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी है।

संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 भारत की संसद के संबंध में प्रावधान करता है। "संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों—राज्य परिषद (Council of States) और लोकसभा (House of the People)—से मिलकर बनेगी।"

question. what is parliament?

संसद किसी देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। भारत में संसद संघ की सर्वोच्च कानून बनाने वाली प्राधिकरण है। यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और कानून बनाने, कार्यपालिका को नियंत्रित करने तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।

संसद (Parliament) संसद किसी देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। भारत में संसद संघ की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।

संसद की संरचना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में शामिल हैं—

1. राष्ट्रपति
2. राज्य सभा (Council of States)
3. लोक सभा (House of the People)

संसद के कार्य:

1. **विधायी कार्य** – पूरे देश के लिए कानून बनाना।
2. **कार्यपालिका पर नियंत्रण** – प्रश्न, प्रस्ताव और वाद-विवाद के माध्यम से नियंत्रण रखना।
3. **वित्तीय कार्य** – बजट पारित करना और सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखना।
4. **विचार-विमर्श कार्य** – राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना।

अतः संसद भारतीय लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है।

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार, प्रतिरक्षण (immunities) और छूट हैं जो संसद के सदस्यों और उसकी समितियों को दिए जाते हैं, ताकि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकें। ये विशेषाधिकार सुनिश्चित करते हैं कि सदस्य बिना भय और दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

संवैधानिक प्रावधान:

संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं।

संसदीय विशेषाधिकार के प्रकार:

संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – सदस्य संसद में कही गई बातों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते।

गिरफ्तारी से संरक्षण – संसद सत्र के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले और बाद में सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है।

कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार – संसद को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है।

बाहरी व्यक्तियों को बाहर रखने का अधिकार – संसद अपनी कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को बाहर कर सकती है।

अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार – संसद विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमानना के लिए दंड दे सकती है।

निष्कर्ष: - ये विशेषाधिकार संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019

104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर **अनुसूचित जाति (SC)** और **अनुसूचित जनजाति (ST)** के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को बढ़ाया गया, जबकि **एंग्लो-इंडियन समुदाय** के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं:

आरक्षण की अवधि में वृद्धि:

SC और ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को **10 वर्ष (2030 तक)** के लिए बढ़ा दिया गया।

एंग्लो-इंडियन नामांकन समाप्त:

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन:

अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई।

अनुच्छेद 331 और 333 (एंग्लो-इंडियन नामांकन से संबंधित) को समाप्त कर दिया गया।

उद्देश्य: - इस संशोधन का उद्देश्य SC और ST को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना जारी रखना तथा एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान को समाप्त करना है

लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं

लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 84** तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में दी गई हैं।

आवश्यक योग्यताएं:

1. **नागरिकता**:
   व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. **आयु**:
   उम्मीदवार की आयु कम से कम **25 वर्ष** होनी चाहिए।

3. **मतदाता के रूप में पंजीकरण**:
   वह भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।

4. **अन्य योग्यताएं**:
   संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार अन्य योग्यताएं भी पूरी करनी होंगी।

5. **शपथ या प्रतिज्ञान**:
   लोकसभा में बैठने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक है।

नोट: - व्यक्ति किसी भी अयोग्यता (जैसे—मानसिक अस्वस्थता, दिवालियापन, लाभ का पद आदि) से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

लोकसभा सदस्य की शपथ (Oath of a Member of Lok Sabha) लोकसभा का प्रत्येक सदस्य सदन में अपनी सीट ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक होता है।

संवैधानिक प्रावधान: यह शपथ भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 99** में दी गई है तथा इसका प्रारूप **तीसरी अनुसूची (Third Schedule)** में वर्णित है।

शपथ/प्रतिज्ञान का प्रारूप: "मैं, A.B., जो कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित (या नामित) हुआ/हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूँगा/करूँगी।"

मुख्य बिंदु:

1. शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

2. शपथ लिए बिना सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता।

यदि कोई सदस्य बिना शपथ के बैठता या मतदान करता है, तो उस पर दंड लगाया जा सकता है।

question what is anti defection law?
Answer **Anti-Defection Law (India)**

दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

परिभाषा:

दल-बदल विरोधी कानून वह कानून है जो निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों/विधायकों) को अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ने या पार्टी के निर्देश (whip) के विरुद्ध मतदान करने पर अयोग्य घोषित करने के लिए बनाया गया है।

वैधानिक प्रावधान यह कानून भारतीय संविधान की **दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)** में निहित है, जिसे **52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** द्वारा जोड़ा गया था। बाद में **91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा इसे और सख्त किया गया।

अयोग्यता के आधार (Grounds of Disqualification)

1. यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है।
2. यदि वह पार्टी के निर्देश (whip) के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।
3. यदि कोई निर्दलीय सदस्य (Independent) किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
4. यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है।

निर्णय देने वाला प्राधिकरण - दल-बदल के मामलों में निर्णय **लोकसभा अध्यक्ष/विधानसभा अध्यक्ष (Speaker)** या **राज्यसभा के सभापति (Chairman)** द्वारा किया जाता है।

अपवाद (Exceptions)

1. **विलय (Merger):** यदि किसी दल के कम से कम **2/3 सदस्य** किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं, तो इसे दल-बदल नहीं माना जाता।
2. पहले "स्प्लिट (1/3)" का प्रावधान था, जिसे 91वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

महत्वपूर्ण वाद (Case Laws)

1. Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)
    - सुप्रीम कोर्ट ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
    - साथ ही यह भी कहा कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन होगा।
2. Ravi S. Naik v. Union of India (1994)
    - कोर्ट ने कहा कि "स्वेच्छा से सदस्यता त्यागना" केवल लिखित इस्तीफा नहीं, बल्कि आचरण (conduct) से भी साबित हो सकता है।
3. Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007)
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए और न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है।

निष्कर्ष - दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करना है। यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

क्या दसवीं अनुसूची संवैधानिक रूप से वैध है?

हाँ, दसवीं अनुसूची (**दल-बदल विरोधी कानून**) संवैधानिक रूप से वैध है।

यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय ने Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) मामले में स्पष्ट किया।

निर्णय (**Judgment):**

1. सर्वोच्च न्यायालय ने **दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया।**
2. यह कानून **राजनीतिक दल-बदल को रोकने** और सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
3. लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि **अंतिमता का प्रावधान** (**finality clause)** असंवैधानिक है।
4. **स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा** (**Judicial Review)** के अधीन होगा (निर्णय के बाद)।

तर्क (**Reasoning):**

- यह कानून अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता।
- यह **लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत** करता है और पार्टी अनुशासन बनाए रखता है।

निष्कर्ष: - अतः, दसवीं अनुसूची संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन स्पीकर के निर्णय पर न्यायालय की निगरानी बनी रहती है।

हाँ, स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन होता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ।

दसवीं अनुसूची के अंतर्गत, लोकसभा के स्पीकर (या राज्यसभा के सभापति) को दल-बदल (Defection) के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता तय करने का अधिकार है।

Kihoto Hollohan बनाम Zachillhu मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:

- स्पीकर का निर्णय पूरी तरह अंतिम नहीं है।
- यह **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है (अनुच्छेद 32 और 226 के तहत)।

लेकिन न्यायालय ने कुछ सीमाएँ भी निर्धारित कीं:

- न्यायिक समीक्षा केवल **अंतिम निर्णय के बाद** ही की जा सकती है, कार्यवाही के दौरान नहीं।
- न्यायालय केवल इन आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है:
    - दुर्भावना (Mala fide)
    - संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
- निर्णय की अव्यवहारिकता या अनुचितता

अतः, स्पीकर एक **न्यायाधिकरण** (**Tribunal)** की तरह कार्य करता है और उसका निर्णय सीमित परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा समीक्षा योग्य होता है।

Jagjit Singh v. State of Haryana

विषय: दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) – स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा

हरियाणा विधानसभा के कुछ विधायकों को **दसवीं अनुसूची** (**दल-बदल कानून**) के तहत स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गई।

मुख्य प्रश्न - क्या दल-बदल कानून के अंतर्गत स्पीकर द्वारा दिया गया निर्णय **न्यायिक समीक्षा** (**Judicial Review)** के अधीन है?

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

1. स्पीकर का निर्णय **न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**
2. स्पीकर इस विषय में निर्णय लेते समय एक **न्यायाधिकरण** (**Tribunal)** की तरह कार्य करता है।
3. न्यायालय निम्न आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है:
    - दुर्भावना (Mala fide)
    - संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन
    - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
    - मनमाना या अवैध निर्णय

न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय **Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992)** के सिद्धांतों को पुनः पुष्टि की।

महत्व

- इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं है।
- संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) के अंतर्गत **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति सुरक्षित है।
- यह निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

"जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है और न्यायालय सीमित आधारों पर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।"

लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता

लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएँ **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84** तथा **Representation of the People Act, 1951** में दी गई हैं।

आवश्यक योग्यताएँ:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आयु कम से कम **25 वर्ष** होनी चाहिए।
3. किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
4. सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त (Unsound Mind) घोषित न किया गया हो।
5. दिवालिया (Undischarged Insolvent) न हो।
6. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन **लाभ का पद** (**Office of Profit**) धारण न करता हो।

लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, भारतीय नागरिकता, मतदाता पंजीकरण तथा अन्य कानूनी शर्तों का पालन आवश्यक है।

लोकसभा सदस्य की अयोग्यता कौन तय करता है?

1️⃣ **अनुच्छेद 102 के अंतर्गत (सामान्य अयोग्यता)**

यदि किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो—

👉 निर्णय करता है: -**भारत के राष्ट्रपति** - लेकिन राष्ट्रपति यह निर्णय **निर्वाचन आयोग की सलाह** पर करते हैं। यह प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 103** में है।

दलबदल (Anti-Defection) के मामले में

यदि मामला दलबदल कानून (Tenth Schedule) से संबंधित हो, तो—

👉 निर्णय करता है: - **लोकसभा अध्यक्ष** (**Speaker**)

यह सिद्धांत -**Kihoto Hollohan v. Zachillhu** -में स्थापित किया गया।

- सामान्य अयोग्यता → राष्ट्रपति (निर्वाचन आयोग की सलाह पर)
- दलबदल का मामला → लोकसभा अध्यक्ष

दलबदल कानून की शर्तें -- दलबदल कानून संविधान की **दसवीं अनुसूची** (**Tenth Schedule**) में निहित है।

अयोग्यता की शर्तें

1️⃣ स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना

यदि कोई सदस्य अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है।

2️⃣ पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान

यदि सदस्य पार्टी के निर्देश (व्हिप) के विरुद्ध मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है।

3️⃣ निर्दलीय सदस्य द्वारा पार्टी जॉइन करना

निर्दलीय उम्मीदवार यदि चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो जाए।

4️⃣ मनोनीत सदस्य का 6 माह बाद दल में शामिल होना

मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर दल जॉइन कर सकता है, उसके बाद करने पर अयोग्यता होगी।

अपवाद (Merger) यदि किसी दल के **2/3 सदस्य** दूसरे दल में विलय (Merger) का निर्णय लें, तो यह दलबदल नहीं माना जाएगा।

निर्णय करने का प्राधिकारी

- लोकसभा में → अध्यक्ष (Speaker)
- राज्यसभा में → सभापति (Chairman)
- निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है (जैसा कि **Kihoto Hollohan v. Zachillhu** में कहा गया)।

दलबदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और अनैतिक दल परिवर्तन को रोकना है।

प्रश्न: कानून के अनुसार लोकसभा का न्यूनतम सत्र कितनी बार आयोजित होना चाहिए?

इस संबंध में प्रावधान **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85** में दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति समय-समय पर संसद का सत्र बुलाते हैं।
- दो सत्रों के बीच **6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।**

👉 इसका अर्थ है कि वर्ष में कम से कम **दो सत्र** आयोजित होना अनिवार्य है।

व्यवहार में सामान्यतः तीन सत्र होते हैं:

1. बजट सत्र
2. मानसून सत्र
3. शीतकालीन सत्र

लेकिन संवैधानिक न्यूनतम आवश्यकता → **दो सत्र प्रति वर्ष**।

संसदीय विशेषाधिकार (MP, MLA, MLC)

- अनुच्छेद 105 → सांसद
- अनुच्छेद 194 → विधायक

में वर्णित हैं।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

1. सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. न्यायालय में कार्यवाही से छूट
3. सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट (40 दिन पहले, दौरान, 40 दिन बाद)

आपराधिक मामलों में छूट नहीं।

सामूहिक विशेषाधिकार

1. कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार
2. अवमानना पर दंड देने का अधिकार
3. अनुच्छेद 122 → न्यायालय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकता

जया बच्चन मामला Jaya Bachchan v. Union of India

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।

सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत (Harmonious Construction)

जब संविधान के दो प्रावधानों में टकराव दिखाई देता है, तो न्यायालय दोनों को इस प्रकार व्याख्यायित करता है कि दोनों प्रभावी रह सकें। अर्थात् किसी एक प्रावधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे दूसरा निरर्थक हो जाए।

उद्देश्य

- संविधान की एकता बनाए रखना
- सभी प्रावधानों को प्रभाव देना
- टकराव से बचना

संविधान को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाता है।

प्रमुख निर्णय - **Kesavananda Bharati v. State of Kerala** इस मामले में न्यायालय ने संशोधन शक्ति और मौलिक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित किया।

अनुच्छेद 123 और 213 – अध्यादेश जारी करने की शक्ति

यह शक्ति Constitution of India में दी गई है।

अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 123 के अंतर्गत **राष्ट्रपति** अध्यादेश जारी कर सकता है, जब:

1. संसद के **दोनों सदन सत्र में न हों**, और
2. तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो।

👉 अध्यादेश को संसद के कानून के समान **बल और प्रभाव** प्राप्त होता है।

विशेष बातें:

- संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद इसे सदनों के समक्ष रखा जाता है।
- यह **6 सप्ताह** के भीतर समाप्त हो जाता है, यदि संसद इसे स्वीकृति न दे।
- राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।

अनुच्छेद 213 – राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 213 के अंतर्गत **राज्यपाल** राज्य विधानसभा के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है।

शर्तें:

- तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो।
- विधानसभा के पुनः सत्र के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन आवश्यक।
- राज्यपाल भी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय D.C. Wadhwa v. State of Bihar Supreme Court of India ने कहा:

- अध्यादेश शक्ति का बार-बार प्रयोग (पुनः जारी करना) असंवैधानिक है।
- यह शक्ति केवल **आपातकालीन स्थिति** के लिए है, नियमित कानून बनाने का विकल्प नहीं।

मुख्य सिद्धांत

- अध्यादेश एक **अस्थायी कानून** है।
- यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी होता है।
- यह **न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)** के अधीन है।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष अनुच्छेद 123 और 213 राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह शक्ति तभी प्रयोग की जा सकती है जब विधायिका सत्र में न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। यद्यपि अध्यादेश को कानून के समान प्रभाव प्राप्त होता है, परंतु यह अस्थायी है तथा विधायिका की स्वीकृति और न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

VERY IMPORTANT CASE

R.C. Cooper v. Union of India (Also known as the **Bank Nationalisation Case**)

R.C. Cooper v. Union of India (जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामला भी कहा जाता है)

पृष्ठभूमि 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक अध्यादेश द्वारा किया, जिसे बाद में कानून का रूप दिया गया। यह कानून था:
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act

आर.सी. कूपर, जो एक बैंक के शेयरधारक थे, ने इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

मुख्य प्रश्न

1. क्या यह अधिनियम **संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31)** का उल्लंघन करता है?
2. क्या यह **अनुच्छेद 19(1)(f)** (संपत्ति रखने का अधिकार) का उल्लंघन करता है?
3. क्या एक शेयरधारक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर याचिका दायर कर सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया:

- अधिनियम का कुछ भाग असंवैधानिक था।
- उचित मुआवजा नहीं दिया गया था।
- मौलिक अधिकार **एक-दूसरे से अलग नहीं हैं**, बल्कि परस्पर संबंधित हैं।
- पहले के निर्णय A.K. Gopalan v. State of Madras में अपनाई गई "उद्देश्य परीक्षण" (Object Test) की संकीर्ण व्याख्या को अस्वीकार किया गया।
- न्यायालय को कानून के **प्रभाव (Effect)** को देखना चाहिए, केवल उद्देश्य को नहीं।

महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत (Doctrine of Direct Effect)

यदि किसी कानून का प्रत्यक्ष प्रभाव मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक होगा।

महत्व

- मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या की गई।
- न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मजबूत किया गया।
- आगे चलकर Maneka Gandhi v. Union of India जैसे ऐतिहासिक निर्णयों की नींव रखी।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि कानून की वैधता का परीक्षण उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से किया जाएगा। इस निर्णय ने भारतीय संवैधानिक कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।

अध्यादेश बनाने की शक्ति – राष्ट्रपति और राज्यपाल

- यह शक्ति Constitution of India के **अनुच्छेद 123** (राष्ट्रपति)
- **अनुच्छेद 213** (राज्यपाल)
  में दी गई है।

मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित शक्ति Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि: राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। वे यह शक्ति **मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह** (**Aid and Advice of Council of Ministers)** पर प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत **संसदीय शासन प्रणाली** का मूल तत्व है।

अध्यादेश की अवधि (Duration)

1. अध्यादेश को विधायिका (संसद/विधानसभा) के पुनः सत्र प्रारंभ होने पर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है।
2. विधायिका के पुनः एकत्र होने की तिथि से **6 सप्ताह** के भीतर यदि इसे स्वीकृति नहीं मिलती, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है।
3. राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे **किसी भी समय वापस** (**Withdraw)** भी ले सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय **D.C. Wadhwa v. State of Bihar** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

- अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
- बार-बार पुनः अध्यादेश जारी करना असंवैधानिक है।
- यह केवल **आपातकालीन परिस्थिति** के लिए है।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है, परंतु यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती है। अध्यादेश अस्थायी कानून है, जिसे विधायिका के पुनः सत्र के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है। यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।

R.K. Garg v. Union of India 1981

पृष्ठभूमि यह मामला **विशेष धारक बांड** (**Special Bearer Bonds)** योजना से संबंधित था। सरकार ने काले धन (Black Money) को बाहर लाने के लिए एक योजना लागू की, जिसके तहत लोगों को कुछ कर-राहत और गोपनीयता दी गई। इस योजना को चुनौती दी गई कि यह **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार**) का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह काला धन रखने वालों को लाभ दे रही है।

मुख्य प्रश्न

1. क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है?
2. क्या आर्थिक नीति से संबंधित कानूनों की न्यायालय द्वारा कठोर समीक्षा की जा सकती है?

निर्णय - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

- आर्थिक एवं वित्तीय कानूनों को न्यायालय द्वारा **उदार दृष्टिकोण** (**Liberal Approach)** से देखा जाना चाहिए।
- आर्थिक नीतियों में न्यायालय को सरकार के निर्णय में कम हस्तक्षेप करना चाहिए।
- जब तक कानून स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक न हो, उसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण सिद्धांत **Economic Legislation Principle** आर्थिक कानूनों के मामले में न्यायालय "Judicial Restraint" (न्यायिक संयम) अपनाएगा।

न्यायालय ने कहा: "Laws relating to economic activities should be viewed with greater latitude than laws touching civil rights."

महत्व

- अनुच्छेद 14 की व्याख्या में लचीलापन।
- आर्थिक नीतियों के मामलों में न्यायालय का सीमित हस्तक्षेप।
- संसद को आर्थिक सुधारों में व्यापक विवेकाधिकार।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष

आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि आर्थिक कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक कानून स्पष्ट रूप से मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो, उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय न्यायिक संयम का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

अध्यादेश की वैधता – R.K. Garg मामला R.K. Garg v. Union of India

निर्णय – Supreme Court of India इस मामले में सरकार द्वारा जारी **अध्यादेश** (**Ordinance)** की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

1. **अध्यादेश विधायी शक्ति** (**Legislative Power) का प्रयोग है**, न कि कार्यपालिका (Executive) का।
2. अध्यादेश का वही **बल और प्रभाव** (**Force and Effect)** है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम (Act) का होता है।
3. अध्यादेश को कार्यपालिका की साधारण प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता।
4. जब तक अध्यादेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन न करे, वह वैध माना जाएगा।

🔎 **महत्वपूर्ण सिद्धांत**

👉 अध्यादेश और अधिनियम (Act) **समान स्तर** (**Same Footing)** पर होते हैं।

👉 अध्यादेश को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता कि वह संसद द्वारा पारित नहीं हुआ है।

👉 यह शक्ति Constitution of India के अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति) और 213 (राज्यपाल) के अंतर्गत दी गई है।

परीक्षा हेतु निष्कर्ष

आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश एक विधायी कार्य है और उसका प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान है। इसे कार्यपालिका की सामान्य कार्रवाई नहीं माना जा सकता। अतः यदि अध्यादेश संविधान के अनुरूप है, तो वह पूर्णतः वैध है।

पृष्ठभूमि

बिहार सरकार कई वर्षों तक एक ही अध्यादेश को बार-बार पुनः जारी (Re-promulgate) करती रही, बिना उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए। अर्थात्, अध्यादेश को स्थायी कानून बनाने के बजाय उसे बार-बार जारी किया जाता रहा। डॉ. डी.सी. वाधवा ने इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

⚖️ मुख्य प्रश्न

क्या बार-बार अध्यादेश जारी करना, बिना उसे विधानमंडल के समक्ष रखे, संवैधानिक है?

📜 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

1. अध्यादेश का बार-बार पुनः जारी किया जाना **असंवैधानिक** है।
2. अध्यादेश शक्ति एक **आपातकालीन शक्ति** है, न कि नियमित कानून बनाने का साधन।
3. कार्यपालिका (Executive) विधायिका (Legislature) को दरकिनार नहीं कर सकती।
4. यह संविधान के साथ **धोखा** (**Fraud on the Constitution**) है।

🔎 संबंधित प्रावधान

यह शक्ति Constitution of India के

- अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति)
- अनुच्छेद 213 (राज्यपाल)

  के अंतर्गत दी गई है।

अध्यादेश को विधायिका के पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 **सप्ताह के भीतर** स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है।

🔥 महत्व

- विधायिका की सर्वोच्चता को मजबूत किया।
- अध्यादेश शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाई।
- न्यायिक पुनरावलोकन को सुदृढ़ किया।

✍️ परीक्षा हेतु निष्कर्ष

डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश शक्ति का बार-बार प्रयोग असंवैधानिक है। यह शक्ति केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है और इसे नियमित विधि निर्माण के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

दया याचिका (Mercy Appeal) – अनुच्छेद 72 और 161

यह शक्ति Constitution of India में प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को सुधारने और मानवीय आधार पर राहत देने का अंतिम अवसर प्रदान करना है।

🔹 **अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की शक्ति**

अनुच्छेद 72 के अंतर्गत **राष्ट्रपति** निम्न प्रकार की दया प्रदान कर सकते हैं:

1. **Pardon (क्षमादान)** – दोषसिद्धि और दंड दोनों को समाप्त कर देना।
2. **Commutation (दंड परिवर्तन)** – कठोर दंड को हल्के दंड में बदलना।
3. **Remission (दंड में कमी)** – सजा की अवधि कम करना।
4. **Respite (विशेष परिस्थितियों में राहत)** – विशेष कारणों (जैसे गर्भावस्था) के आधार पर कम सजा देना।
5. **Reprieve (स्थगन)** – दंड के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोकना (विशेषकर मृत्यु दंड में)।

राष्ट्रपति इन मामलों में दया दे सकते हैं:

- **मृत्युदंड के मामलों में**
- **कोर्ट मार्शल के मामलों में**
- संघ सूची से संबंधित कानूनों के मामलों में

राष्ट्रपति यह शक्ति **मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह** पर प्रयोग करते हैं।

अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 161 के अंतर्गत **राज्यपाल** राज्य के कानूनों से संबंधित अपराधों में दया प्रदान कर सकते हैं।

👉 राज्यपाल **मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा (Pardon) नहीं कर सकते**, परंतु उसे स्थगित, कम या परिवर्तित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय Kehar Singh v. Union of India

- राष्ट्रपति मामले के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं।
- परंतु यह शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है; यह **न्यायिक पुनरावलोकन** के अधीन है।

Epuru Sudhakar v. Government of Andhra Pradesh न्यायालय ने कहा कि दया शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 72 और 161 में अंतर

आधार	अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
प्राधिकारी	राष्ट्रपति	राज्यपाल
मृत्युदंड	पूर्ण क्षमा दे सकते हैं	पूर्ण क्षमा नहीं दे सकते

आधार	अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
कोर्ट मार्शल	हाँ	नहीं
क्षेत्राधिकार	संघ के कानून	राज्य के कानून

परीक्षा हेतु निष्कर्ष अनुच्छेद 72 और 161 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दया याचिका की शक्ति प्रदान करते हैं। यह शक्ति न्यायिक त्रुटियों को सुधारने और मानवीय आधार पर राहत देने के लिए है। हालांकि यह शक्ति व्यापक है, परंतु यह पूर्णतः निरंकुश नहीं है और न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।

IN अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Hindi)

अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे **Pardon (क्षमा), Reprieve (दण्ड स्थगन), Respite (दण्ड में कमी विशेष परिस्थिति में), Remission (दण्ड अवधि में कमी), Suspension (निलंबन) तथा Commutation (दण्ड परिवर्तन)** प्रदान कर सकते हैं।

किन आधारों / परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं?

संविधान में "विशिष्ट कारण" (जैसे दया, बीमारी आदि) स्पष्ट रूप से नहीं लिखे हैं, बल्कि यह बताया गया है कि किन प्रकार के मामलों में यह शक्ति लागू होगी।

1 कोर्ट मार्शल के मामलों में

राष्ट्रपति किसी भी **Court Martial** द्वारा दिए गए दण्ड में क्षमा प्रदान कर सकते हैं।

2 ऐसे अपराध जिन पर संघ (Union) की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है

अर्थात् वे अपराध जो **केंद्रीय कानूनों** से संबंधित हैं।

3 मृत्यु दण्ड (Death Sentence) के सभी मामलों में

राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु दण्ड के मामले में क्षमा दे सकते हैं, चाहे वह राज्य कानून के अंतर्गत हो या केंद्र कानून के।

👉 यदि राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दया याचिका अस्वीकार कर दी हो, तब भी राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं।

न्यायिक व्याख्या के अनुसार व्यावहारिक आधार

यद्यपि अनुच्छेद 72 में विशेष आधार नहीं दिए गए हैं, परन्तु व्यवहार में निम्न कारणों पर विचार किया जा सकता है—

- मानवीय आधार (Humanitarian grounds)
- मानसिक बीमारी
- साक्ष्य में संदेह
- मृत्यु दण्ड के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब
- आयु या स्वास्थ्य
- सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियाँ

🔹 **महत्वपूर्ण निर्णय ⚖️ Kehar Singh v Union of India**

- राष्ट्रपति मामले के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं।
- यह कार्यपालिका शक्ति है।
- सीमित न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) संभव है।

⚖️ Epuru Sudhakar v Government of Andhra Pradesh

यदि क्षमादान

- दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) हो,

- अप्रासंगिक आधार पर हो,
- राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित हो,

तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

शक्ति की प्रकृति

- यह पूर्णतः निरंकुश (Absolute) नहीं है।
- राष्ट्रपति यह शक्ति **मंत्रिपरिषद की सलाह (अनुच्छेद 74)** पर प्रयोग करते हैं।
- सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

अनुच्छेद 72 और 161 का उद्देश्य (क्षमा शक्ति का प्रयोजन)

📜 **संवैधानिक प्रावधान**

- **अनुच्छेद 72** – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
- **अनुच्छेद 161** – राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 72 एवं 161 का उद्देश्य

1️⃣ न्यायिक त्रुटियों का सुधार (Correction of Judicial Errors)

न्यायाधीश भी मानव हैं और उनसे भूल संभव है। इसलिए संविधान ने क्षमा शक्ति प्रदान की है ताकि यदि न्यायालय से कोई त्रुटि हो जाए तो उसे सुधारा जा सके।

कोई भी मानवीय व्यवस्था पूर्णतः त्रुटिहीन (Infallible) नहीं होती। इसलिए यह शक्ति अंतिम संवैधानिक सुरक्षा (Constitutional Safeguard) के रूप में दी गई है।

2️⃣ न्याय में दया और करुणा का समावेश

न्याय केवल कठोर कानून का पालन नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए। क्षमा शक्ति कानून की कठोरता को कम करके न्याय में दया (Mercy) और करुणा (Compassion) का तत्व जोड़ती है।

3️⃣ विशेष परिस्थितियों पर विचार

न्यायालय केवल कानून और साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है, परंतु कार्यपालिका निम्न बातों पर भी विचार कर सकती है—

- मानवीय आधार
- वृद्धावस्था या गंभीर बीमारी
- मृत्यु दण्ड के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब
- सामाजिक या राष्ट्रीय हित

4️⃣ न्याय प्रणाली में जनविश्वास बनाए रखना

यदि कोई गंभीर अन्याय बिना सुधारे रह जाए तो जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कम हो सकता है। क्षमा शक्ति न्याय और दया के बीच संतुलन बनाए रखती है।

🔹 **न्यायालय का दृष्टिकोण** **Kehar Singh v Union of India** उच्चतम न्यायालय ने कहा—

- यह शक्ति संविधान की योजना का महत्वपूर्ण भाग है।
- इसका उद्देश्य न्याय में हुई त्रुटि को सुधारना है।

⚖️ **Maru Ram v Union of India**

- क्षमा शक्ति निजी कृपा नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व है।

परीक्षा हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष

अनुच्छेद 72 और 161 का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को सुधारना, न्याय में दया का समावेश करना तथा अन्याय की संभावना को समाप्त करना है। चूँकि कोई भी मानव प्रणाली पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं है, इसलिए संविधान ने यह असाधारण शक्ति अंतिम सुरक्षा के रूप में प्रदान की है।

⚖️ **Kehar Singh v Union of India** 📅 **वर्ष: 1989 IS THIS THE SAME INDIRA GANDHI ASSASSINATION CASE**

- **पृष्ठभूमि (Facts)**
  - केहर सिंह को **इंदिरा गांधी की हत्या** के षड्यंत्र में दोषी ठहराया गया।
  - उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने सजा बरकरार रखी।
  - इसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया याचिका (Mercy Petition) प्रस्तुत की गई।
  - राष्ट्रपति ने दया याचिका अस्वीकार कर दी।
  - इस अस्वीकृति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
- **मुख्य प्रश्न (Issues)**
  1. क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मामले के **गुण-दोष (Merits)** पर पुनः विचार कर सकते हैं?
  2. क्या राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णय की **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** संभव है?
- **निर्णय (Judgment)** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा—

✅ **1. राष्ट्रपति मामले के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं**

राष्ट्रपति केवल दया या सहानुभूति के आधार पर ही नहीं, बल्कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों पर भी विचार कर सकते हैं।

✅ **2. क्षमा शक्ति कार्यपालिका की शक्ति है**

यह न्यायिक नहीं, बल्कि **कार्यपालिका शक्ति (Executive Power)** है।

✅ **3. सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है** राष्ट्रपति के निर्णय की समीक्षा केवल निम्न आधारों पर हो सकती है—

- दुर्भावना (Mala fide)
- अप्रासंगिक विचार
- संविधान का उल्लंघन

न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय के गुण-दोष में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

महत्व (Importance of the Case)

- इस निर्णय ने अनुच्छेद 72 की प्रकृति स्पष्ट की।
- यह बताया कि क्षमा शक्ति न्यायिक निर्णय का पुनर्विचार नहीं, बल्कि संवैधानिक दया का अधिकार है।
- न्याय और दया के संतुलन को स्थापित किया।

परीक्षा हेतु संक्षिप्त नोट

Kehar Singh केस (1989) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मामले के गुण-दोष पर विचार कर सकते हैं, परंतु उनका निर्णय सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा।

⚖️ **Maru Ram v Union of India** 📅 **वर्ष: 1980** **पीठ: 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ**

पृष्ठभूमि (Facts)

यह मामला **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)** की धारा 433A की वैधता से संबंधित था। धारा 433A के अनुसार: जहाँ किसी व्यक्ति को **आजीवन कारावास** (Life Imprisonment) की सजा दी गई हो, और अपराध मृत्यु दण्ड से दंडनीय हो, वहाँ उसे कम से कम **14 वर्ष** का वास्तविक कारावास भुगतना होगा, तब ही सजा में छूट (remission) संभव होगी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति को सीमित करता है।

मुख्य प्रश्न (Issues)

1. क्या CrPC की धारा 433A, राष्ट्रपति (Art. 72) और राज्यपाल (Art. 161) की क्षमा शक्ति को सीमित कर सकती है?
2. क्या यह प्रावधान संविधान के विरुद्ध है?

निर्णय (Judgment)

✅ **1. अनुच्छेद 72 और 161 की शक्ति सर्वोच्च है**

संसद या राज्य विधानमंडल किसी कानून द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक क्षमा शक्ति को सीमित नहीं कर सकते।

✅ **2. धारा 433A वैध है**

परंतु यह केवल **सरकारी remission power (statutory power)** को नियंत्रित करती है, संवैधानिक क्षमा शक्ति को नहीं।

✅ **3. क्षमा शक्ति निजी कृपा नहीं है**

न्यायालय ने कहा—क्षमा शक्ति कोई व्यक्तिगत दया नहीं, बल्कि **सार्वजनिक हित के लिए संवैधानिक उत्तरदायित्व** है।

🔹 **महत्वपूर्ण सिद्धांत** (Key Principles)

- अनुच्छेद 72 और 161 की शक्ति कार्यपालिका की विशेष संवैधानिक शक्ति है।
- यह शक्ति मनमानी नहीं हो सकती।
- यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है।
- न्यायिक समीक्षा सीमित आधारों पर संभव है।

महत्व (Importance) यह निर्णय स्पष्ट करता है कि:

- संवैधानिक क्षमा शक्ति संसद के कानून से ऊपर है।
- परंतु इसका प्रयोग विवेकपूर्ण और सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

परीक्षा हेतु संक्षिप्त निष्कर्ष

Maru Ram केस (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 72 और 161 की क्षमा शक्ति सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति है, जिसे कोई साधारण कानून सीमित नहीं कर सकता, हालांकि इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर और सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

---

if the power of pardon is arbitrary? Epuru Sudhakar v Government of Andhra Pradesh 2006

पृष्ठभूमि (Facts)

- आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के अंतर्गत एक दोषी व्यक्ति की सजा को माफ (Remit) कर दिया।
- आरोप था कि यह क्षमादान **राजनीतिक कारणों** से दिया गया।

- इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

🔹 **मुख्य प्रश्न (Issues)**

1. क्या राज्यपाल/राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संभव है?
2. यदि हाँ, तो किन आधारों पर?

🔹 **निर्णय (Judgment)**

सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए—

✅ **1. क्षमादान शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है**

यद्यपि यह कार्यपालिका की संवैधानिक शक्ति है, परंतु यह **मनमानी (Arbitrary)** नहीं हो सकती।

✅ **2. न्यायिक समीक्षा संभव है** न्यायालय निम्न आधारों पर हस्तक्षेप कर सकता है—

- दुर्भावना (Mala fide)
- अप्रासंगिक या बाहरी विचार (Irrelevant considerations)
- राजनीतिक पक्षपात
- संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन
- भेदभाव (Violation of Article 14)

✅ **3. क्षमादान सार्वजनिक हित में होना चाहिए** यह व्यक्तिगत कृपा नहीं, बल्कि **संवैधानिक जिम्मेदारी** है।

🔹 **महत्व (Importance of the Case)**

- इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत दी गई क्षमा शक्ति भी **संवैधानिक सीमाओं** में बंधी है।
- मनमानी क्षमादान को न्यायालय रद्द कर सकता है।
- यह निर्णय **Rule of Law** को मजबूत करता है।

परीक्षा हेतु संक्षिप्त नोट

Epuru Sudhakar केस (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि वह दुर्भावना, राजनीतिक पक्षपात या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित हो।

भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers) (अनुच्छेद 53)

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 53** के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। व्यवहार में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74)।

1. सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति

राष्ट्रपति भारत की थल, जल और वायु सेना का **पदेन (Ex-officio) सर्वोच्च सेनापति** होता है।
किन्तु वास्तविक नियंत्रण मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है।

2. नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ

राष्ट्रपति निम्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है—

- प्रधानमंत्री
- अन्य मंत्रिगण
- राज्यों के राज्यपाल
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश

- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश
- भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त

3. नियम बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 77)

राष्ट्रपति—

- सरकारी कार्यों के सुचारु संचालन हेतु नियम बनाता है।
- मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है।
- आदेशों के प्रमाणीकरण (Authentication) के नियम निर्धारित करता है।

4. कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग

- भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं।
- वह इन शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।

5. संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) का प्रशासन

राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन प्रशासक या उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के माध्यम से करता है।

6. पद से हटाने की शक्ति

राष्ट्रपति कुछ अधिकारियों को हटाने की शक्ति रखता है—

- राज्यपाल (राष्ट्रपति की इच्छा पर)
- महान्यायवादी
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से)
- सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (संसदीय महाभियोग प्रक्रिया द्वारा)

⚖️ ध्यान दें: राष्ट्रपति किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे पद से नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री तभी पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त है।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख है। यद्यपि संविधान में उसे व्यापक कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई हैं, परन्तु वह इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ

1️⃣ Executive Powers (कार्यपालिका शक्तियाँ)

(A) English

Under **Article 53** of the Constitution of India, the executive power of the Union is vested in the President.

Main Executive Powers:

1. Supreme Commander of Defence Forces.
2. Appoints Prime Minister, Ministers, Governors, Judges of Supreme Court and High Courts, CAG, Attorney General, Election Commissioners etc.
3. Makes rules for convenient transaction of Government business (Article 77).
4. All executive actions are taken in his name.
5. Administers Union Territories through Lieutenant Governors.
6. Has power to remove certain officials (as per constitutional procedure).

👉 He acts on the aid and advice of the Council of Ministers (Article 74).

(B) अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

प्रमुख कार्यपालिका शक्तियाँ:

1. सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति।
2. प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति।
3. शासन संचालन हेतु नियम बनाना (अनुच्छेद 77)।
4. सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से।
5. संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन।
6. कुछ अधिकारियों को हटाने की शक्ति।

👉 वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74)।

2️⃣ Legislative Powers (विधायी शक्तियाँ)

(B) अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।

प्रमुख विधायी शक्तियाँ:

1. संसद का आह्वान और स्थगन।
2. लोकसभा का विघटन।
3. विधेयकों पर स्वीकृति देना (अनुच्छेद 111)।
4. साधारण विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाना।
5. संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 123)।
6. राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन।

3️⃣ Judicial Powers (न्यायिक शक्तियाँ)

(A) English

Under **Article 72**, the President has power to grant:

- Pardon
- Reprieve
- Respite
- Remission
- Commutation

Especially in:

- Death sentence cases
- Court Martial cases
- Cases under Union law

(B) अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है—

- पूर्ण क्षमा
- दंड स्थगन
- दंड में राहत
- दंड में कमी
- दंड का परिवर्तन

विशेषकर:

- मृत्युदंड के मामलों में
- सैन्य न्यायालय के मामलों में
- संघीय कानून के मामलों में

4️⃣ Emergency Powers (आपातकालीन शक्तियाँ)

(B) राष्ट्रपति निम्न आपातकाल घोषित कर सकता है—

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
2. राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

🔎 **Conclusion / निष्कर्ष**

The President is the Constitutional Head of India.

भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है, परंतु सभी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करता है।

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

प्रस्तावना भारतीय संविधान में **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers)** मूल संरचना का भाग है। यह सिद्धांत **Kesavananda Bharati v. State of Kerala** मामले में स्थापित किया गया।

अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए विधि निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

🔹 **विधायी शक्तियाँ**

1. संसद का आह्वान एवं अभिभाषण

- राष्ट्रपति संसद का आह्वान एवं स्थगन करता है (अनुच्छेद 85)।
- वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र तथा लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है (अनुच्छेद 87)।

2. लोकसभा का विघटन एवं संयुक्त बैठक

- राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
- दोनों सदनों में गतिरोध (Deadlock) होने पर वह संयुक्त बैठक बुला सकता है (अनुच्छेद 108)।

3. विधेयकों पर स्वीकृति

- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता (अनुच्छेद 111)।
- हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है।

4. पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटाने की शक्ति

- राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- यदि संसद पुनः पारित कर दे, तो उसे स्वीकृति देना अनिवार्य है।
- धन विधेयक (Money Bill) को वह वापस नहीं भेज सकता।

🔎 **Conclusion / निष्कर्ष**

The President plays a vital constitutional role in law-making, but he generally acts on the advice of the Council of Ministers.

राष्ट्रपति विधि निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है।

डेडलॉक (Deadlock) – 5 अंक का उत्तर

परिभाषा:

डेडलॉक (Deadlock) का अर्थ है गतिरोध की स्थिति, जिसमें दो या दो से अधिक प्रक्रियाएँ या पक्ष एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे कार्य पूर्णतः रुक जाता है।

व्याख्या:

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रत्येक प्रक्रिया किसी संसाधन (resource) को अपने पास रखती है और साथ ही दूसरे संसाधन की प्रतीक्षा करती है, जो किसी अन्य प्रक्रिया के पास होता है। परिणामस्वरूप सभी प्रक्रियाएँ अनंत समय तक प्रतीक्षा करती रहती हैं।

मुख्य तत्व (Conditions):

1. Mutual Exclusion (परस्पर बहिष्करण) – संसाधन एक समय में केवल एक ही प्रक्रिया उपयोग कर सकती है।
2. Hold and Wait (पकड़कर प्रतीक्षा करना) – प्रक्रिया एक संसाधन पकड़कर दूसरे का इंतज़ार करती है।
3. No Preemption (अपूर्वग्रहणीयता) – संसाधन को जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता।
4. Circular Wait (चक्रीय प्रतीक्षा) – प्रक्रियाएँ एक चक्र में एक-दूसरे की प्रतीक्षा करती हैं।

निष्कर्ष:

डेडलॉक एक ऐसी समस्या है जो सिस्टम की कार्यक्षमता को रोक देती है, इसलिए इसे रोकने या समाप्त करने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक होता है।

Promulgate an Ordinance का अर्थ है:

👉 संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से अध्यादेश जारी करना।

"Promulgate" का अर्थ है —

- आधिकारिक रूप से घोषित करना
- लागू करना

अध्यादेश जारी करना (Promulgate an Ordinance) – 5 अंक का उत्तर

परिभाषा:

अध्यादेश (Ordinance) वह अस्थायी कानून है जिसे राष्ट्रपति (या राज्य में राज्यपाल) तब जारी करता है जब संसद/विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है।

संवैधानिक आधार:

भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति के लिए) तथा अनुच्छेद 213 (राज्यपाल के लिए) अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है।**
2. **यह केवल आपात या तात्कालिक परिस्थिति में जारी किया जाता है।**
3. **संसद/विधानमंडल के पुनः सत्र शुरू होने पर इसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।**
4. **यदि 6 सप्ताह के भीतर इसे मंजूरी नहीं मिलती, तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है।**

निष्कर्ष:

अध्यादेश व्यवस्था सरकार को आपात स्थिति में तुरंत कानून बनाने की शक्ति देती है, परंतु इसका उपयोग सीमित और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

Promulgation of an Ordinance means the formal issuance of a temporary law by the President under Article 123 when Parliament is not in session and immediate action is required.

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

1. **संसद का आह्वान, अभिभाषण एवं विघटन**

   राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का आह्वान एवं स्थगन करता है।

वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र तथा लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करता है (अनुच्छेद 87)।

राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर वह संयुक्त बैठक बुला सकता है (अनुच्छेद 108)।

2. **विधेयकों पर स्वीकृति**
   राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता (अनुच्छेद 111)।
3. **विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति**
   धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
   यदि संसद पुनः उसे पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है।

4. **अध्यादेश जारी करने की शक्ति**

जब संसद सत्र में नहीं होती है, तब राष्ट्रपति **अनुच्छेद 123** के अंतर्गत अध्यादेश जारी (प्रख्यापित) कर सकता है।
अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान होता है, परन्तु यह अस्थायी होता है।
संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृति मिलनी आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है।

5. **राज्यसभा में नामांकन की शक्ति**

राष्ट्रपति **अनुच्छेद 80** के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन करता है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

6. **संसद को संदेश भेजने की शक्ति**

राष्ट्रपति **अनुच्छेद 86** के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन को किसी विधेयक या अन्य विषय के संबंध में संदेश भेज सकता है।
सदन को ऐसे संदेश पर विचार करना आवश्यक होता है।

7. **राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होने वाले विधेयक**

कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की **पूर्व अनुशंसा (Prior Recommendation)** आवश्यक होती है, जैसे—

- धन विधेयक (अनुच्छेद 117)
- नए राज्य का गठन या राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक (अनुच्छेद 3)
- कुछ वित्तीय विधेयक

⚠ ध्यान दें: यहाँ "पुनर्विचार" नहीं, बल्कि "पूर्व अनुशंसा" शब्द प्रयोग किया जाता है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (अनुच्छेद 200 एवं 201) "Veto" का अर्थ है — "मैं मना करता हूँ"।

यह राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इंकार कर सकता है।

अनुच्छेद 200 (राज्यपाल की शक्ति) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल—

1. स्वीकृति दे सकता है
2. अस्वीकृति दे सकता है
3. पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)
4. राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है

अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति की शक्ति) यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति—

1. स्वीकृति दे सकता है

2. स्वीकृति रोक सकता है
3. पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है (धन विधेयक नहीं)

⚠ यहाँ राष्ट्रपति संसद की तरह बाध्य नहीं है कि पुनः पारित होने पर स्वीकृति दे।

मामला: State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025)

यह मामला राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने से संबंधित था।

मुख्य प्रश्न:

1. क्या राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक रोक सकता है?
2. क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है?

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकता।
- उसे उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा।
- राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है।

"पॉकेट वीटो" जैसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति

अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय का **परामर्शाधिकार** (**Advisory Jurisdiction**) कहा जाता है।

मुख्य बिंदु

- प्रश्न जनहित से संबंधित होना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देता है।
- यह राय बाध्यकारी नहीं होती, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

अनुच्छेद 142 – पूर्ण न्याय करने की शक्ति

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी लंबित मामले में **पूर्ण न्याय** (**Complete Justice**) करने हेतु आवश्यक आदेश दे सकता है।

मुख्य बिंदु

1. यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
2. इसका उद्देश्य न्याय की पूर्णता सुनिश्चित करना है।
3. यह शक्ति कानून के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्याय की पूर्ति हेतु प्रयोग की जाती है।

अनुच्छेद 142 – सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ -- अनुच्छेद 142 Supreme Court of India को यह विशेष अधिकार देता है कि वह किसी भी लंबित मामले में "पूर्ण न्याय (Complete Justice)" करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सके।

अनुच्छेद 142 का अर्थ

इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिससे वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है, भले ही उसके लिए कोई स्पष्ट कानून मौजूद न हो।

- **मुख्य शक्तियाँ**

1. पूर्ण न्याय करने की शक्ति -सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दे सकता है।

2. आदेश और डिक्री पारित करने की शक्ति

- **न्यायालय के आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं**
- **सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होते हैं**

3. कानूनी रिक्तता (Legal Gap) को भरने की शक्ति -जहाँ कानून स्पष्ट नहीं है या अनुपस्थित है, वहाँ न्यायालय दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

उदाहरण: Vishaka v. State of Rajasthan – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए।

4. आदेशों के प्रवर्तन की शक्ति

न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके आदेशों का सही तरीके से पालन हो।

- **सीमाएँ (Limitations)**
  - **यह शक्ति संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध नहीं जा सकती**
  - **इसका उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता**
  - **इसका उद्देश्य केवल न्याय को बढ़ावा देना है**
- **महत्वपूर्ण मामले**
  - **Union Carbide Corporation v. Union of India – मुआवजा दिलाने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग**
  - **Supreme Court Bar Association v. Union of India – अनुच्छेद 142 की सीमाएँ स्पष्ट की गईं**

परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर

अनुच्छेद 142 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सके।

निष्कर्ष

Retrospective (प्रतिगामी/पश्चगामी) का अर्थ है — ऐसा कानून जो भूतकाल की घटनाओं पर लागू हो।

👉 अर्थात कानून पीछे की तारीख से प्रभावी हो।

उदाहरण यदि 2026 में बना कानून 2024 से लागू माना जाए, तो वह प्रतिगामी (Retrospective) कानून होगा।

महत्वपूर्ण बात

- आपराधिक कानून सामान्यतः प्रतिगामी नहीं हो सकता (अनुच्छेद 20(1))।
- लेकिन सिविल कानून कभी-कभी प्रतिगामी हो सकता है।

2005 संशोधन (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम) 2005 से पहले:

- केवल पुत्र ही सहभाजक (Coparcener) था। 2005 के बाद:
- पुत्री को भी जन्म से सहभाजक का अधिकार मिला।
- पुत्र के समान अधिकार और दायित्व।

Vineeta Sharma Case (2020) सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

- पुत्री को जन्म से अधिकार है।

- पिता का 2005 में जीवित होना आवश्यक नहीं।
- पुत्री को समान अधिकार मिलेगा।

सारभूत (Substantive) कानून वह कानून है जो:

- अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है
- अपराध और दंड तय करता है
- कानूनी संबंधों को परिभाषित करता है

👉 यह बताता है कि "कानून क्या है"।

उदाहरण

- भारतीय न्याय संहिता (अपराध और दंड)
- भारतीय अनुबंध अधिनियम (संविदा संबंधी अधिकार)

123 – राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

जब संसद सत्र में नहीं होती और तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।

मुख्य बिंदु

- अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभाव रखता है।
- संसद के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाता है यदि पारित न हो।
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है।

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा—

- राज्यपाल (अनुच्छेद 200) और राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201) विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते।
- उन्हें उचित समय (Reasonable Time) के भीतर निर्णय लेना होगा।

⚠ संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा (जैसे 3 माह) निर्धारित नहीं है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि:

- न्यायपालिका राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई निश्चित समय सीमा में कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती।
- परन्तु अत्यधिक विलंब असंवैधानिक माना जा सकता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल (Prime Minister and Cabinet)

1️⃣ प्रधानमंत्री कौन है?

भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख (Real Executive) होता है। वह लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है।

संवैधानिक आधार

- Constitution of India का **अनुच्छेद 74** — राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
- **अनुच्छेद 75** — मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी।
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वही व्यक्ति नियुक्त होता है जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सके।

2️⃣ क्या प्रधानमंत्री वास्तविक (Real) प्रमुख है?

हाँ, भारत में प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका (Real Executive) है।

नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका

- **राष्ट्रपति** → नाममात्र (Nominal/De jure Head)
- **प्रधानमंत्री** → वास्तविक (Real/De facto Head)

राष्ट्रपति संविधानिक प्रमुख है, लेकिन वह अपने कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

👉 इसलिए व्यावहारिक रूप से सरकार प्रधानमंत्री चलाता है।

3️⃣ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर

(A) मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)

यह सभी मंत्रियों का समूह होता है, जिसमें शामिल हैं:

- कैबिनेट मंत्री
- राज्य मंत्री
- उप मंत्री

यह पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

(B) मंत्रिमंडल (Cabinet)

मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का छोटा और शक्तिशाली भाग होता है।

- इसमें केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं।
- महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय यहीं लिए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है।

👉 सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन सभी मंत्रिपरिषद सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते।

4️⃣ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

1. मंत्रियों की नियुक्ति

प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है और राष्ट्रपति को नियुक्ति की सलाह देता है।

2. विभागों का वितरण प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग तय करता है और फेरबदल कर सकता है।

3. मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री बैठक बुलाता है और एजेंडा तय करता है।

4. संसद में भूमिका

- लोकसभा का नेता होता है।
- सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करता है।
- राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है।

5. राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है।

5️⃣ सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार — मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

इसका अर्थ:

- यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।
- सभी मंत्री कैबिनेट के निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करेंगे।

✍️ **परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु (Exam Points)**

आधार	राष्ट्रपति	प्रधानमंत्री
स्थिति	नाममात्र प्रमुख	वास्तविक प्रमुख
शक्ति	औपचारिक	वास्तविक
उत्तरदायित्व	संविधान	लोकसभा
निर्णय	सलाह पर कार्य	निर्णय लेता है

📌 **निष्कर्ष**

✓ भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।

✓ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है।

✓ प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख है।

✓ मंत्रिमंडल ही वास्तविक नीति-निर्माता संस्था है।

PART – II

1 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है।

📌 **अनुच्छेद 246 एवं सप्तम अनुसूची** शक्तियाँ तीन सूचियों में विभाजित हैं:

(1) संघ सूची (Union List)

संसद को विशेष अधिकार। उदाहरण – रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा।

(2) राज्य सूची (State List)

राज्य विधानमंडल को अधिकार। उदाहरण – पुलिस, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य।

(3) समवर्ती सूची (Concurrent List)

दोनों को कानून बनाने का अधिकार। संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं।

संघ का कानून टकराव की स्थिति में प्रभावी होगा (अनुच्छेद 254)।

2 क्षेत्रीय वितरण (Territorial Distribution)

अनुच्छेद 245 के अनुसार:

- संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
- राज्य केवल अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है।

3 राज्य विषयों पर संसद की शक्ति

निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है:

1. अनुच्छेद 249 – राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का प्रस्ताव।
2. अनुच्छेद 250 – आपातकाल के समय।
3. अनुच्छेद 252 – दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर।
4. अनुच्छेद 253 – अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने हेतु।
5. अनुच्छेद 356 – राष्ट्रपति शासन के दौरान।

4 क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत (Doctrine of Territorial Nexus)

यदि किसी राज्य कानून का राज्य से वास्तविक संबंध हो, तो वह राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है।

शर्तें:

1. वास्तविक संबंध होना चाहिए।
2. संबंध काल्पनिक न हो।

---

5 सार एवं तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

न्यायालय कानून के वास्तविक उद्देश्य (सार) को देखता है, न कि केवल उसके बाहरी रूप को। यदि कानून का मुख्य विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह वैध होगा, भले ही उसका अन्य सूची पर आंशिक प्रभाव पड़े।

---

6 आभासी विधायन का सिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation)

अर्थ: -जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यदि विधायिका अपने अधिकार से बाहर जाकर छिपे रूप में कानून बनाए, तो वह असंवैधानिक होगा।

✍️ परीक्षा हेतु निष्कर्ष

✓ भारत संघात्मक शासन प्रणाली है।

✓ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।

✓ न्यायालय संतुलन बनाए रखने हेतु उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रयोग करता है।

संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

प्रस्तावना (Introduction)

भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, परन्तु इसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण **अनुच्छेद 245 से 254** के अंतर्गत किया गया है। Constitution of India के अनुच्छेद 246 एवं सप्तम अनुसूची के अनुसार विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।

मुख्य भाग (Main Body)

1 क्षेत्रीय एवं विषयगत वितरण

(क) क्षेत्रीय वितरण (अनुच्छेद 245)

- संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
- राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है।
- संसद को अतिरिक्त-क्षेत्रीय (Extra-territorial) कानून बनाने की शक्ति भी प्राप्त है।

(ख) विषयगत वितरण (अनुच्छेद 246 एवं सप्तम अनुसूची)

संविधान में तीन सूचियाँ हैं:

1. संघ सूची (Union List – सूची I)

संसद को विशेष अधिकार।

उदाहरण – रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, मुद्रा।

2. राज्य सूची (State List – सूची II)

राज्य विधानमंडल को अधिकार।

उदाहरण – पुलिस, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List – सूची III)

दोनों को कानून बनाने का अधिकार।

टकराव की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होगा (अनुच्छेद 254)।

---

2 राज्य विषयों पर संसद की विधायी शक्ति

निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है:

1. अनुच्छेद 249 – राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित होने पर।
2. अनुच्छेद 250 – राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
3. अनुच्छेद 252 – दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर।
4. अनुच्छेद 253 – अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने हेतु।
5. अनुच्छेद 356 – राष्ट्रपति शासन के समय।

इस प्रकार संविधान में लचीलापन रखा गया है।

---

3 क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत (Doctrine of Territorial Nexus)

यदि किसी राज्य कानून का राज्य से वास्तविक एवं पर्याप्त संबंध हो, तो वह राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है।

प्रमुख वाद: 👉 **State of Bombay v. R.M.D. Chamarbaugwala**

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त क्षेत्रीय संबंध होने पर कानून वैध होगा।

---

4 सार एवं तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

न्यायालय कानून के वास्तविक उद्देश्य (सार) को देखता है, न कि केवल उसके बाहरी रूप को। यदि कानून का मुख्य विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह वैध होगा, भले ही उसका अन्य सूची पर आंशिक प्रभाव पड़े।

प्रमुख वाद: 👉 **State of Bombay v. F.N. Balsara**

न्यायालय ने माना कि कानून का मूल विषय राज्य सूची में आता था, इसलिए वैध है।

---

5 आभासी विधायन का सिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation)

अर्थ: "जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।"

यदि विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर छिपे रूप में कानून बनाती है, तो वह असंवैधानिक होगा।

प्रमुख वाद: 👉 **K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa**

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायिका संवैधानिक सीमाओं को छलपूर्वक पार नहीं कर सकती।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में विधायी शक्तियों का स्पष्ट एवं संतुलित वितरण किया गया है। यद्यपि यह संघात्मक प्रणाली है, परंतु राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु संसद को विशेष परिस्थितियों में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत –

✓ क्षेत्रीय संबद्धता

✓ सार एवं तत्व

✓ आभासी विधायन

— संवैधानिक संतुलन बनाए रखते हैं तथा संघवाद की रक्षा करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि भारत "मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक राज्य" है।

PART – II आपातकालीन प्रावधान (विशेष संदर्भ: राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन)

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। Constitution of India के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

भारत में तीन प्रकार के आपातकाल हैं:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
2. राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

---

1 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

आधार

- युद्ध
- बाह्य आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह

(44वें संशोधन द्वारा "आंतरिक अशांति" हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" किया गया।)

घोषणा की प्रक्रिया

- राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर घोषणा करता है।
- एक माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक।
- विशेष बहुमत से पारित।
- छह माह तक प्रभावी, आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रभाव

1. केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार।
2. अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित (युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में)।
3. राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 359)।
4. संघात्मक व्यवस्था अस्थायी रूप से एकात्मक रूप ले लेती है।

---

2 राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अर्थ जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए।

घोषणा

- राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा।
- दो माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक।
- छह माह तक वैध।
- अधिकतम अवधि: तीन वर्ष (शर्तों सहित)।

प्रभाव

1. राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त।
2. विधानसभा भंग या निलंबित।
3. संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।
4. राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है।

प्रमुख वाद 👉 **S.R. Bommai v. Union of India**

उच्चतम न्यायालय ने कहा:

- अनुच्छेद 356 न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
- बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होगा।
- मनमाना प्रयोग असंवैधानिक है।

---

3 वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

- भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर।
- अब तक कभी लागू नहीं हुआ।
- केंद्र वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकता है।

निष्कर्ष - आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय एकता की रक्षा हेतु बनाए गए हैं। परंतु इनके दुरुपयोग से संघीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। 44वें संशोधन ने इन पर नियंत्रण और सुरक्षा उपाय जोड़े हैं। इस प्रकार भारत की शासन व्यवस्था सामान्य समय में संघात्मक तथा संकट के समय एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है।

PART – II संघीय न्यायपालिका – भारत का उच्चतम न्यायालय (संरचना एवं क्षेत्राधिकार)

प्रस्तावना -भारत का उच्चतम न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसका प्रावधान Constitution of India के भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124–147) में किया गया है। यह संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक है।

---

1 उच्चतम न्यायालय की संरचना

(क) न्यायाधीशों की संख्या

- प्रारंभ में: 1 मुख्य न्यायाधीश + 7 न्यायाधीश
- वर्तमान में: 1 मुख्य न्यायाधीश + अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश

(ख) नियुक्ति

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।
- कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से।

प्रमुख वाद:

👉 Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India

इस निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुई।

(ग) योग्यता (अनुच्छेद 124)

- भारत का नागरिक हो।

- 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या
- 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या
- विशिष्ट विधिवेत्ता हो।

(घ) कार्यकाल एवं पदच्युति

- सेवानिवृत्ति आयु: 65 वर्ष।
- संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है।

---

2 उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

---

1. मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)

केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद।

---

2. रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32)

मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

---

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132–136)

संवैधानिक, दीवानी एवं आपराधिक मामलों में अपील सुनता है।

---

4. परामर्शी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)

राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है।

---

5. पुनर्विचार शक्ति (अनुच्छेद 137)

अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है।

---

6. अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129)

अदालत की अवमानना पर दंड दे सकता है।

निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा संघीय ढांचे को सुरक्षित रखता है।

PART – II कदाचार और अक्षमता में अंतर

(न्यायाधीशों की पदच्युति के संदर्भ में)

Constitution of India के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है:

1. सिद्ध कदाचार
2. अक्षमता

---

1 कदाचार (Misbehaviour) अर्थ:

कदाचार का अर्थ है न्यायाधीश द्वारा अनुचित या गलत आचरण करना।

स्वरूप:

- यह आचरण से संबंधित है।
- नैतिक या कानूनी उल्लंघन हो सकता है।

उदाहरण:

- रिश्वत लेना
- भ्रष्टाचार
- पद का दुरुपयोग

---

2 अक्षमता (Incapacity) अर्थ:

अक्षमता का अर्थ है शारीरिक या मानसिक कारणों से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होना।

स्वरूप:

- यह असमर्थता से संबंधित है।
- इसमें कोई गलत आचरण नहीं होता।

उदाहरण:

- गंभीर बीमारी
- मानसिक विकार

सारणी के रूप में अंतर

आधार	कदाचार	अक्षमता
अर्थ	गलत आचरण	कर्तव्य निभाने में असमर्थता
दोष तत्व	होता है	नहीं होता
उदाहरण	भ्रष्टाचार	मानसिक बीमारी

निष्कर्ष

कदाचार में दोषपूर्ण आचरण शामिल होता है, जबकि अक्षमता में केवल असमर्थता होती है। दोनों ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं गरिमा बनाए रखने हेतु हटाने के संवैधानिक आधार हैं।

Here is the **Impeachment Procedure of Supreme Court Judges**

PART – II सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति (महाभियोग प्रक्रिया)

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान:

- Constitution of India का अनुच्छेद 124(4)
- Judges Inquiry Act

हटाने के आधार:

1. सिद्ध कदाचार
2. अक्षमता

महाभियोग की चरणबद्ध प्रक्रिया

1 प्रस्ताव की सूचना

- लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, या

- राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित।

2️⃣ प्रस्ताव की स्वीकृति

- लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

3️⃣ जाँच समिति का गठन

तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है:

1. सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
2. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
3. एक विशिष्ट विधिवेत्ता

4️⃣ जाँच एवं प्रतिवेदन

- न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
- दोष सिद्ध होने पर प्रस्ताव संसद में लाया जाता है।

5️⃣ संसद में मतदान

दोनों सदनों में पृथक-पृथक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक:

✓ कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा

✓ उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

6️⃣ राष्ट्रपति का आदेश - दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रक्रिया कठिन रखी गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे।
- अब तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है।

निष्कर्ष

महाभियोग प्रक्रिया न्यायिक उत्तरदायित्व एवं स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखती है।

📘 न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी मामला (1993) 👉 V. Ramaswami

यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध पहला महाभियोग मामला था।

आरोप

- वित्तीय अनियमितता
- सरकारी धन का दुरुपयोग
- अत्यधिक खर्च

जांच समिति ने कदाचार सिद्ध पाया।

संसद में मतदान (1993)

- आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।

- कई सांसदों ने मतदान से दूरी बनाई।
- प्रस्ताव असफल हो गया।

महत्व

✓ पहला महाभियोग प्रयास

✓ न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक प्रभाव

✓ हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन

निष्कर्ष

रामास्वामी मामला दर्शाता है कि न्यायाधीश की पदच्युति केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है।

PART – II संविधान संशोधन (शक्ति, प्रक्रिया एवं मूल संरचना सिद्धांत)

प्रस्तावना - भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। Constitution of India के अनुसार संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला।

---

1 संशोधन की शक्ति

अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। किन्तु यह शक्ति असीमित नहीं है। यह मूल संरचना सिद्धांत द्वारा सीमित है।

---

2 संशोधन की प्रक्रिया

संशोधन विधेयक केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन तीन प्रकार से हो सकता है:

(क) साधारण बहुमत से

जैसे –

- नए राज्यों का गठन
- नागरिकता संबंधी प्रावधान

(ख) विशेष बहुमत से

- कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा
- उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

अधिकांश संशोधन इसी प्रकार होते हैं।

(ग) विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि संघीय ढांचे से संबंधित विषयों में आवश्यक:

- संसद में विशेष बहुमत
- कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन

---

3 मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

प्रमुख वाद 👉 Kesavananda Bharati v. State of Kerala

निर्णय:

✓ संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।

❌ परंतु संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

मूल संरचना के तत्व

- संविधान की सर्वोच्चता
- विधि का शासन
- शक्तियों का पृथक्करण
- न्यायिक पुनरावलोकन
- संघवाद
- धर्मनिरपेक्षता
- लोकतंत्र
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता

महत्व

✓ संविधान की पहचान सुरक्षित रहती है।

✓ संसद की शक्ति पर नियंत्रण।

✓ लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है।

निष्कर्ष

संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीलेपन और कठोरता का संतुलन प्रस्तुत करती है। मूल संरचना सिद्धांत संविधान की आत्मा की रक्षा करता है और संसद की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करता है।

संविधान संशोधन और मूल संरचना सिद्धांत

---

1. संशोधन की शक्ति – अनुच्छेद 368

संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है।

---

2. संशोधन के प्रकार

(1) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

सामान्य विधेयक की तरह पारित।

यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता।

---

(2) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
- उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत

---

(3) विशेष बहुमत + राज्यों की स्वीकृति

- संसद में विशेष बहुमत
- कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति

---

3. मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) उत्पत्ति: Kesavananda Bharati v. State of Kerala
सिद्धांत: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

---

4. मूल संरचना के तत्व

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. विधि का शासन
3. शक्तियों का विभाजन
4. न्यायिक पुनरावलोकन
5. संघीय ढांचा
6. धर्मनिरपेक्षता
7. लोकतंत्र
8. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
9. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

1. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

भारत के **Supreme Court of India** के न्यायाधीशों की नियुक्ति **Article 124 of the Constitution of India** के अंतर्गत होती है।

नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति **President of India** द्वारा की जाती है।

परामर्श (Consultation) राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श** करता है।

योग्यता

किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए:

1. वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए।
2. वह कम से कम **5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश** रहा हो, या
3. **10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता** रहा हो, या
4. राष्ट्रपति की राय में **प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)** हो।

कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश **65 वर्ष की आयु तक** पद पर रहते हैं।

---

2. हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

भारत के **High Courts of India** के न्यायाधीशों की नियुक्ति **Article 217 of the Constitution of India** के अंतर्गत होती है।

नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।

परामर्श राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करता है:

1. **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**
2. **संबंधित राज्य का राज्यपाल**
3. **संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश**

योग्यता

1. भारत का नागरिक हो
2. कम से कम **10 वर्ष तक अधिवक्ता** रहा हो, या
3. **10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो**

कार्यकाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश **62 वर्ष की आयु तक** पद पर रहते हैं।

जजेस केस (Judges Cases) भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली तीन महत्वपूर्ण मामलों से विकसित हुई है।

---

1. प्रथम जजेस केस (First Judges Case – 1981) मामला: **S.P. Gupta v. Union of India**

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में **कार्यपालिका (सरकार) को प्राथमिकता** होगी।
- **मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं होगी।**

परिणाम इस निर्णय से **सरकार की शक्ति अधिक हो गई**।

---

2. द्वितीय जजेस केस (Second Judges Case – 1993)

मामला: **Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India**

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया।

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में **न्यायपालिका को प्राथमिकता (Primacy)** दी गई।
- इसी केस में **Collegium System** की शुरुआत हुई।

Collegium की संरचना (1993)

- मुख्य न्यायाधीश (CJI)
- सुप्रीम कोर्ट के **2 वरिष्ठतम न्यायाधीश**

---

3. तृतीय जजेस केस (Third Judges Case – 1998) मामला: **In re Presidential Reference**

निर्णय

इस केस में Collegium की संरचना को बढ़ाया गया।

सुप्रीम कोर्ट के लिए Collegium

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
2. सुप्रीम कोर्ट के **4 वरिष्ठतम न्यायाधीश**

Collegium System क्या है?

Collegium System वह प्रणाली है जिसमें **वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है।**

Collegium के सदस्य (Supreme Court)

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
2. सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश

कार्य Collegium:

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है
- हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है
- हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के **स्थानांतरण** की सिफारिश करता है

99वाँ संविधान संशोधन और NJAC

2014 में संसद ने **99th Constitutional Amendment Act** पारित किया। इससे **National Judicial Appointments Commission** का गठन किया गया।

NJAC के सदस्य

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
2. सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश
3. केंद्रीय कानून मंत्री
4. 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति

99वाँ संशोधन क्यों रद्द (Null and Void) किया गया

मामला: **Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India** **निर्णय (2015)**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

- **99वाँ संविधान संशोधन असंवैधानिक है।**
- NJAC कानून को **रद्द (Null and Void)** कर दिया गया।

कारण

1. यह संविधान के **Basic Structure** के विरुद्ध था।
2. इससे **न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Judicial Independence)** को खतरा था।
3. इसमें **सरकार की भागीदारी अधिक थी**, जिससे न्यायपालिका प्रभावित हो सकती थी।

इसलिए **Collegium System को पुनः लागू कर दिया गया।**

Collegium System के संदर्भ में महत्वपूर्ण केस Bal Mukund Sah v. State of Bihar (2014)

मुख्य सिद्धांत

इस मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि:

- न्यायपालिका की नियुक्ति और सेवा से संबंधित मामलों में संविधान की व्यवस्था का पालन अनिवार्य है।
- राज्य सरकार या विधायिका न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करे।
- संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता।

निर्णय का महत्व

इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

1. न्यायपालिका की नियुक्ति की प्रक्रिया संवैधानिक ढाँचे के अनुसार ही होगी।

2. सरकार या विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करे।
3. यह सिद्धांत Judicial Independence (न्यायपालिका की स्वतंत्रता) को मजबूत करता है।

Collegium System से संबंध

यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि:

- न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायपालिका की भागीदारी से ही होनी चाहिए।

इसी सिद्धांत के कारण बाद में:

- Second Judges Case (1993)
- Third Judges Case (1998)

के माध्यम से Collegium System को मजबूत किया गया।

"Bal Mukund Sah v. State of Bihar (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के अनुसार ही होगी और राज्य या विधायिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस निर्णय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत किया, जो आगे चलकर Collegium System की आवश्यकता और महत्व को भी दर्शाता है।"

भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति **अनुच्छेद 124 और 217** के अंतर्गत होती है। प्रारंभ में कार्यपालिका को प्राथमिकता थी, लेकिन **Second और Third Judges Case** के बाद न्यायपालिका को प्राथमिकता मिली और **Collegium System लागू हुआ**। 2014 में **99वाँ संशोधन और NJAC** लाया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे **संविधान के मूल ढाँचे के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया**।

अनुच्छेद 143 (परामर्श अधिकारिता)

✔ **अर्थ** अनुच्छेद 143 के तहत **राष्ट्रपति**, **Supreme Court of India** से कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर **सलाह (advice)** मांग सकते हैं।

🔹 **कब सलाह ली जाती है?**

✔ **1. विधि या तथ्य का प्रश्न (143(1))**

- जब कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न हो

✔ **2. समझौते/संधि से संबंधित विवाद (143(2))**

🔸 **सलाह की प्रकृति**

✔ बाध्यकारी नहीं (Not binding)

✔ केवल परामर्श है

🔹 **मुख्य बिंदु**

- न्यायालय सलाह देने से मना भी कर सकता है

- यह संवैधानिक मार्गदर्शन देता है

🔹 **महत्वपूर्ण केस**

- **In re Berubari Union Case**

👉 **"अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, जो बाध्यकारी नहीं होती।"**

Re Kerala Education Bill, 1958

✔ **पृष्ठभूमि**

- **Kerala** सरकार ने Education Bill पास किया
- इसका उद्देश्य निजी स्कूलों को नियंत्रित करना था

👉 यह **अल्पसंख्यक अधिकार** (**Article 30**) के खिलाफ माना गया

✔ **सुप्रीम कोर्ट को संदर्भ**

- **President of India** ने मामले को **Supreme Court of India** को भेजा

✔ **मुख्य प्रश्न**

- क्या यह Bill **Article 30** का उल्लंघन करता है?

✔ **न्यायालय की राय**

- कुछ प्रावधान सही
- कुछ असंवैधानिक

👉 अदालत ने कहा:

- राज्य नियंत्रण कर सकता है
- लेकिन अल्पसंख्यक अधिकार समाप्त नहीं कर सकता

✔ **सिद्धांत**

- अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है
- लेकिन उचित नियंत्रण संभव है

✔ **महत्व**

- Article 30 और Article 143 दोनों के लिए महत्वपूर्ण केस

"राज्य नियंत्रण कर सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता।"

अनुच्छेद 143 – परामर्श अधिकारिता Constitution of India के अनुसार, **राष्ट्रपति** किसी भी **महत्वपूर्ण विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न** पर **Supreme Court of India** से सलाह ले सकते हैं। यह सलाह **परामर्शात्मक** (**advisory**) होती है, जिसे राष्ट्रपति **मान भी सकते हैं और नहीं भी**।

⚖️ **महत्वपूर्ण केस**

1. Re Kerala Education Bill, 1958

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
  - यह राय **कानून नहीं है** (**Article 141 नहीं**)
  - इसलिए यह **बाध्यकारी नहीं है**

---

2. Re Special Courts Bill, 1978

- कोर्ट ने स्पष्ट किया:
  - राय बाध्यकारी नहीं है
  - लेकिन इसका **उच्च महत्व** (**persuasive value**) है
  - स्पष्ट राय को सामान्यतः अदालतें मानती हैं

⚠️ **महत्वपूर्ण बिंदु**

👉 सलाह:

- राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं
- अदालतों पर भी पूर्णतः बाध्यकारी नहीं
- लेकिन इसका **बहुत प्रभाव होता है**

अनुच्छेद 131

✔ **अर्थ** (**Original Jurisdiction**)

जब कोई मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार दाखिल किया जाता है, तो उसे **मूल अधिकारिता** (**Original Jurisdiction**) कहते हैं।

✔ **अनुच्छेद 131 का क्षेत्र** सुप्रीम कोर्ट निम्न विवादों को सीधे सुनता है:

1. केंद्र सरकार बनाम राज्य
2. केंद्र + राज्य बनाम अन्य राज्य
3. राज्य बनाम राज्य

🔸 **शर्तें**

- विवाद **कानूनी अधिकारों** से संबंधित होना चाहिए
- केवल राजनीतिक विवाद नहीं

🔹 **प्रकृति**

✔ यह अधिकार **विशेष** (**exclusive**) है

✔ केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है

🔹 **उदाहरण** पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद

👉 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा

👉 **"अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र-राज्य विवादों पर विशेष मूल अधिकारिता प्राप्त है।**

Pritam Singh v. State

✔ **तथ्य (Facts)**

- आरोपी को निचली अदालतों ने दोषी ठहराया
- उसने **Supreme Court of India** में Article 136 के तहत अपील की

✔ **मुद्दा (Issue)** 👉 क्या सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करेगा?

✔ **निर्णय (Judgment)**

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
  - यह शक्ति बहुत व्यापक है
  - लेकिन इसका प्रयोग **कम और विशेष परिस्थितियों में** होना चाहिए

✔ **सिद्धांत**

👉 केवल तब हस्तक्षेप होगा जब:

- गंभीर अन्याय हो
- प्रक्रिया में बड़ी गलती हो
- न्याय का हनन हो

✔ **महत्व**

- Article 136 की सीमा स्पष्ट की

SLP को **असाधारण उपाय** बताया

Stare Decisis और अनुच्छेद 141

✔ **Stare Decisis का अर्थ**

👉 "निर्णीत मामलों का पालन करना"

✔ पूर्व निर्णयों का अनुसरण करना

✔ **अनुच्छेद 141**

- सुप्रीम कोर्ट का कानून सभी अदालतों पर **बाध्यकारी** है

✔ **Ratio Decidendi**

- निर्णय का **मुख्य कानूनी सिद्धांत**
- बाध्यकारी होता है

✔ **Obiter Dicta**

- अतिरिक्त टिप्पणी
- बाध्यकारी नहीं, केवल प्रभावशाली

POSH Act

✔ **परिभाषा**

POSH Act एक कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को **यौन उत्पीड़न से सुरक्षा** देता है।

✔ **उद्देश्य**

- सुरक्षित कार्यस्थल
- महिला सम्मान की रक्षा
- शिकायत समाधान

✔ **यौन उत्पीड़न में शामिल**

- शारीरिक संपर्क
- अश्लील टिप्पणी
- यौन मांग

✔ **ICC (आंतरिक समिति)**

- हर संस्था में आवश्यक
- शिकायत की जांच करती है

✔ **शिकायत प्रक्रिया**

- 3 महीने के अंदर शिकायत
- जांच और कार्यवाही

✔ **नियोक्ता की जिम्मेदारी**

- सुरक्षित माहौल देना
- जागरूकता फैलाना

👉 **"POSH Act महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है।"**

.

अनुच्छेद 137 (Review Jurisdiction)

✔ **अर्थ** - सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय की **पुनः जांच** (**Review**) करने का अधिकार है।

✔ **उद्देश्य**

- गलती सुधारना
- न्याय सुनिश्चित करना

🔸 **आधार** (**Grounds**)

1. रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि
2. नया साक्ष्य
3. अन्य उचित कारण

✔ **प्रकृति**

- सीमित अधिकार

- पुनः सुनवाई नहीं

✔ **प्रक्रिया**

- उसी पीठ द्वारा निर्णय
- अधिकतर बिना सुनवाई

अनुच्छेद 142 - सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वह किसी भी मामले में **पूर्ण न्याय** (**Complete Justice)** करने के लिए आदेश दे सके।

✔ **प्रकृति**

- बहुत व्यापक और विशेष शक्ति
- केवल विशेष परिस्थितियों में प्रयोग

⚖️ **महत्वपूर्ण केस**

📘 **Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma**

- बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार

📘 **Ayodhya Judgment**

- दोनों पक्षों को न्याय देने का प्रयास

📘 **Common Cause v. Union of India**

- Passive euthanasia को मान्यता

✔ **मुख्य सिद्धांत**

- पूर्ण न्याय करना
- कानून की कमी को पूरा करना

✔ **सीमाएं**

- मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं
- संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं

Curative Petition (क्युरेटिव प्रावधान)

✔ **अर्थ** - जब Review Petition भी खारिज हो जाए, तब न्याय की गंभीर गलती को सुधारने के लिए Curative Petition दाखिल की जाती है।

✔ **उत्पत्ति** (**Case) Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra**

✔ **कब दाखिल होती है?**

- Review खारिज होने के बाद
- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो
- न्याय में गंभीर त्रुटि हो

✔ **प्रकृति**

- बहुत दुर्लभ उपाय
- अंतिम उपाय

👉 **"Curative Petition अंतिम उपाय है जो न्याय की गंभीर त्रुटि को सुधारने के लिए होता है।"** **Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra** - This is a **landmark case** where the concept of **Curative Petition** was

👉 "Curative Petition is the last remedy introduced in Rupa Hurra case to prevent miscarriage of justice."

Rupa Hurra केस

✔ **तथ्य**

- पति-पत्नी का विवाद था
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
- Review Petition खारिज हो गई
- न्याय में त्रुटि का दावा किया गया

✔ **मुद्दा** 👉 क्या Review के बाद कोई उपाय है?

✔ **निर्णय** सुप्रीम कोर्ट ने Curative Petition की अनुमति दी

✔ **सिद्धांत**

- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
- न्याय में गंभीर गलती

✔ **महत्व**

- अंतिम उपाय (Last remedy) प्रदान किया

👉 **"Rupa Hurra case introduced Curative Petition as last remedy."**

📘 **अनुच्छेद 74(1) – Constitution of India** अनुच्छेद 74(1) कहता है कि—

👉 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए **प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी**, और 👉 **राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा**।

🔍 **मुख्य बिंदु**

1. **सहायता और सलाह (Aid and Advice)**
    - राष्ट्रपति सामान्यतः अपने आप निर्णय नहीं लेता।
    - वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
2. **सलाह बाध्यकारी है**
    - **44वें संविधान संशोधन (1978)** के बाद,
    - राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना **अनिवार्य (binding)** हो गया।
3. **पुनर्विचार का अधिकार**

- राष्ट्रपति एक बार सलाह को **वापस भेज सकता है** (reconsideration के लिए)।
- लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजती है, तो राष्ट्रपति को **मानना ही होगा**।

⚖️ **महत्त्व**

- यह अनुच्छेद भारत में **संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)** को स्थापित करता है।
- इसमें:
  - राष्ट्रपति = **नाममात्र का प्रमुख (Nominal Head)**
  - प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद = **वास्तविक कार्यपालिका (Real Executive)**

🧠 **उदाहरण** यदि मंत्रिपरिषद किसी अध्यादेश (Ordinance) की सलाह देती है—

- राष्ट्रपति उसे एक बार वापस भेज सकता है
- लेकिन दोबारा वही सलाह आने पर उसे स्वीकार करना पड़ेगा

अनुच्छेद 53 संघ की **कार्यपालिका शक्ति (Executive Power)** के बारे में बताता है।

👉 इसमें कहा गया है कि:

- संघ की कार्यपालिका शक्ति **राष्ट्रपति में निहित (vested)** होती है।
- राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग **स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों (जैसे मंत्री)** के माध्यम से करता है।
- यह शक्ति उन सभी विषयों तक फैली होती है जिन पर **संसद कानून बना सकती है**।

🔍 **मुख्य बिंदु (हिंदी में)**

1. **राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख**
   - राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है।
2. **शक्ति का प्रयोग**
   - वास्तविक रूप से शक्ति का प्रयोग **मंत्रिपरिषद** करती है।
3. **सीमा (Scope)**
   - यह शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
4. **सैन्य शक्ति**
   - राष्ट्रपति **सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति** होता है।

⚖️ **Conclusion** 👉 Article 53 + Article 74 मिलकर बताते हैं कि:

- शक्ति राष्ट्रपति के पास है (Article 53)
- लेकिन उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है (Article 74)

---

what is Article 74(2) – Constitution of India

Article 74(2) states that:

👉 **The advice given by the Council of Ministers to the President cannot be inquired into in any court.**

🔍 **Key Points**

1. **Secrecy of Advice**
   - The advice given by the **Council of Ministers** is kept **confidential**.
2. **No Judicial Inquiry**

- Courts **cannot question or examine** what advice was given to the President.

3. **Protection to Executive**
   - It protects the **decision-making process** of the executive from public or judicial scrutiny.

⚖️ **Importance**

- Maintains **confidentiality** between President and Ministers
- Ensures **smooth functioning of government**
- Prevents unnecessary **interference by courts**

अनुच्छेद 74(2) कहता है कि— 👉 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई **सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती।**

🔍 **मुख्य बिंदु (हिंदी में)**

1. **सलाह गोपनीय होती है**
   - मंत्रिपरिषद की सलाह **गुप्त (confidential)** रहती है।
2. **न्यायालय जांच नहीं कर सकता**
   - कोई भी कोर्ट यह नहीं पूछ सकता कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी।
3. **कार्यपालिका की सुरक्षा**
   - यह प्रावधान सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखता है।

🧠 **Example** यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में यह कहे कि— "राष्ट्रपति को गलत सलाह दी गई थी" 👉 तो कोर्ट इस बात की **जांच नहीं करेगा कि सलाह क्या थी।**

प्रोटेम स्पीकर वह **अस्थायी (temporary) लोकसभा अध्यक्ष** होता है जिसे स्थायी स्पीकर के चुने जाने तक नियुक्त किया जाता है। 👉 इसे **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त किया जाता है और सामान्यतः यह **लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य** होता है।

🔍 **कार्य (Functions)**

1. **शपथ दिलाना**
   - नए सांसदों को शपथ दिलाता है।
2. **पहली बैठक की अध्यक्षता**
   - लोकसभा की पहली बैठक को संचालित करता है।
3. **स्पीकर का चुनाव**
   - स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है।

⏳ **कार्यकाल**

- बहुत ही **कम समय के लिए**
- जैसे ही नया स्पीकर चुना जाता है, इसका कार्य समाप्त हो जाता है।

अनुच्छेद 94(c) कहता है कि—

👉 **लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है**

👉 यदि सदन के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाए।**

🔍 **मुख्य बिंदु**

1. **प्रस्ताव द्वारा हटाना**
    - हटाने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव लाना आवश्यक है।
2. **विशेष बहुमत**
    - कुल वर्तमान सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।
3. **14 दिन का नोटिस**
    - प्रस्ताव लाने से पहले **14 दिन का नोटिस** देना जरूरी है।
4. **विचार के समय**
    - स्पीकर उस समय **अध्यक्षता नहीं करेगा**
    - लेकिन **बोल सकता है और भाग ले सकता है**

अनुच्छेद 110 के अनुसार– 👉 **मनी बिल** (**Money Bill**) वह विधेयक है जो केवल **सरकार के वित्तीय मामलों** से संबंधित होता है।

🔍 **मनी बिल के विषय**

1. **कर** (**Tax**) **से संबंधित**
2. **सरकार का ऋण** (**Borrowing**)
3. **संचित निधि / आकस्मिक निधि**
4. **सरकारी खर्च** (**Expenditure**)
5. **सरकारी धन का प्राप्ति और लेखा परीक्षण** (**Audit**)

⚖️ **विशेषताएँ**

1. **केवल लोकसभा में प्रस्तुत**
2. **राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक**
3. **राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है**
4. **14 दिनों में वापस करना होता है**
5. **स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है**

"क्या भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) हैं? क्या वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है? क्या राष्ट्रपति केवल नाममात्र (Nominal Head) हैं? अपने उत्तर को संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ स्पष्ट कीजिए।"

✅ **उत्तर**

हाँ, भारत के राष्ट्रपति **संवैधानिक** (**औपचारिक**) **प्रमुख** होते हैं, जबकि **वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है**।

1. राष्ट्रपति की स्थिति (**Position of President**)

अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

👉 लेकिन यह शक्ति राष्ट्रपति स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते।

2. वास्तविक शक्ति – मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 74(1), भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है।

- राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।
- 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति इस सलाह का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

👉 इसलिए **वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है।**

3. नाममात्र प्रमुख (Nominal Head)

चूँकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें:

- **नाममात्र (Nominal) या औपचारिक प्रमुख** कहा जाता है।
- वास्तविक निर्णय **चुनी हुई सरकार** द्वारा लिए जाते हैं।

4. न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial View)

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

👉 राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल **संवैधानिक प्रमुख** हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अतः यह स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति **संवैधानिक प्रमुख** हैं, जबकि **वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है**, इसलिए राष्ट्रपति को **नाममात्र प्रमुख** माना जाता है।

हाँ, भारत के राष्ट्रपति **संवैधानिक (औपचारिक) प्रमुख** होते हैं, जबकि **वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है**। यह सिद्धांत Abraham Lincoln के प्रसिद्ध कथन **"जनता का, जनता द्वारा, और जनता के लिए शासन"** को दर्शाता है। लोकतंत्र का अर्थ है कि देश की जनता अपनी सरकार का चुनाव करती है।

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि भारत में जनता संसद के सदस्यों का चुनाव करती है, और उन्हीं में से मंत्रिपरिषद बनती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत ने **संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से अपनाई है**, जहाँ वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान**: राष्ट्रपति का पद।
- **अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान**: कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित।

- **अनुच्छेद 74(1), भारतीय संविधान**: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
- **अनुच्छेद 74(2), भारतीय संविधान**: इस सलाह की न्यायालय में जांच नहीं हो सकती।

👉 इसलिए राष्ट्रपति **नाममात्र (Nominal) प्रमुख** हैं।

राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ

- **अध्यादेश जारी करने की शक्ति**:
  - **अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान** (राष्ट्रपति)
  - **अनुच्छेद 213, भारतीय संविधान** (राज्यपाल)
- **क्षमादान की शक्ति**:
  - **अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान** (राष्ट्रपति)
  - **अनुच्छेद 161, भारतीय संविधान** (राज्यपाल)

न्यायिक दृष्टिकोण

- **Shamsher Singh v. State of Punjab (1974)**: राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख हैं।
- **प्रथम न्यायाधीश मामला – S.P. Gupta v. Union of India (1981)**
- **तृतीय न्यायाधीश मामला – In re Presidential Reference (1998)**: कोलेजियम प्रणाली स्थापित की गई।

✅ **निष्कर्ष** - अतः यह स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति **संवैधानिक प्रमुख** हैं, लेकिन **वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है**, इसलिए राष्ट्रपति को **नाममात्र प्रमुख** माना जाता है।

भारतीय संविधान **लोकतांत्रिक शासन प्रणाली** प्रदान करता है, जो Abraham Lincoln के प्रसिद्ध सिद्धांत **"जनता का, जनता द्वारा, और जनता के लिए शासन"** पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

अमेरिका में **राष्ट्रपति शासन प्रणाली** है, जहाँ वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके विपरीत, भारत ने **संसदीय शासन प्रणाली** (**यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित**) अपनाई है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह पर कार्य करता है।

राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की भूमिका

- **अनुच्छेद 74, भारतीय संविधान** के अनुसार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी।
- **अनुच्छेद 75, भारतीय संविधान** के अनुसार:
    - प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
    - **अनुच्छेद 75(2)**: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।
    - **अनुच्छेद 75(3)**: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

👉 सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि **अविश्वास प्रस्ताव** पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।

मंत्रिपरिषद का आकार

- **91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के अनुसार, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या के **15% से अधिक नहीं होगा**।

राष्ट्रपति का विवेकाधिकार

सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति सीमित विवेक का प्रयोग कर सकता है और ऐसे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो बहुमत प्राप्त करने में सक्षम हो।

न्यायिक दृष्टिकोण

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: 👉 राष्ट्रपति केवल **संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुख** है और उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।

निष्कर्ष - अतः भारत में राष्ट्रपति **संवैधानिक प्रमुख** है, जबकि **वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है**। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

📕 **प्रश्न - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(1) एवं 254(2) के अंतर्गत प्रतिकूलता (Repugnancy) के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त वादों के साथ समझाइए। (20 अंक)**

परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति (Inconsistency) से संबंधित है, विशेषकर **समवर्ती सूची (Concurrent List)** के विषयों पर।

अनुच्छेद 254(1): सामान्य नियम

यदि किसी समवर्ती विषय पर **केंद्रीय कानून** और **राज्य कानून** में टकराव होता है, तो:

- केंद्रीय कानून प्रभावी होगा
- राज्य कानून असंगति की सीमा तक शून्य (void) हो जाएगा

✓ प्रतिकूलता के आवश्यक तत्व:

1. दोनों कानून एक ही विषय से संबंधित हों
2. दोनों में प्रत्यक्ष टकराव हो
3. दोनों एक साथ लागू न हो सकें

✓ प्रमुख वाद:

- M. Karunanidhi बनाम भारत संघ में प्रतिकूलता के निर्धारण के सिद्धांत बताए गए।

अनुच्छेद 254(2): अपवाद

यदि:

- राज्य कानून केंद्रीय कानून से टकराता है
- और उसे **राष्ट्रपति की स्वीकृति (Presidential Assent)** प्राप्त हो

👉 तब वह राज्य में प्रभावी रहेगा।

लेकिन संसद बाद में उस राज्य कानून को निरस्त कर सकती है।

✓ प्रमुख वाद:

- Zaverभाई अमैदास बनाम बॉम्बे राज्य में यह सिद्धांत स्थापित किया गया।

प्रतिकूलता का सिद्धांत इस सिद्धांत का उद्देश्य:

- कानूनों में एकरूपता बनाए रखना
- संसद की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना
- टकराव से बचाव करना

निष्कर्ष

अनुच्छेद 254 केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करता है, जहाँ संसद को प्रधानता दी गई है, परंतु राज्यों को भी सीमित स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(1) एवं 246(2) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त वादों सहित समझाइए। (**20 अंक**)

परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य के बीच **विधायी शक्तियों के वितरण** से संबंधित है। यह शक्तियाँ तीन सूचियों में विभाजित हैं:

- संघ सूची (Union List)
- राज्य सूची (State List)
- समवर्ती सूची (Concurrent List)

अनुच्छेद 246(1): संसद की शक्ति

अनुच्छेद 246(1) के अनुसार:
👉 संसद को **संघ सूची के विषयों पर विशेष** (**Exclusive) अधिकार** प्राप्त है।

✓ मुख्य विशेषताएँ:

- संसद की सर्वोच्चता
- पूरे भारत में लागू
- राज्य कानून पर वरीयता

✓ उदाहरण:

- रक्षा
- विदेश नीति
- बैंकिंग
- मुद्रा

✓ प्रमुख वाद:

- Union of India बनाम H.S. Dhillon

अनुच्छेद 246(2): समवर्ती शक्ति - अनुच्छेद 246(2) के अनुसार:
👉 संसद और राज्य दोनों को **समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार** है।

✓ **मुख्य विशेषताएँ**:

- दोनों की समान शक्ति
- टकराव होने पर संसद की प्रधानता (अनुच्छेद 254)
- एकरूपता और लचीलापन

✓ **उदाहरण**:

- आपराधिक कानून
- विवाह और तलाक
- शिक्षा

✓ **प्रमुख वाद**:

- State of West Bengal बनाम Kesoram Industries Ltd.

पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत

जब सूचियों में टकराव होता है, तो न्यायालय **वास्तविक स्वरूप** (**Pith and Substance)** के आधार पर निर्णय करता है।

✓ **प्रमुख वाद**:

- Prafulla Kumar Mukherjee बनाम Bank of Commerce

निष्कर्ष

अनुच्छेद 246 संघीय ढांचे को मजबूत बनाता है और केंद्र व राज्य के बीच संतुलन बनाए रखता है, जहाँ राष्ट्रीय विषयों पर संसद की प्रधानता सुनिश्चित की गई है।

"Pith and Substance" 👉 "**मूल तत्व और वास्तविक स्वरूप**"

"Pith and Substance" का मतलब है किसी कानून का **असल उद्देश्य** (**real purpose)** और **वास्तविक प्रकृति** (**true nature)** क्या है, यह देखना। 👉 यानी अदालत यह नहीं देखती कि कानून ऊपर से किस विषय का लगता है, बल्कि यह देखती है कि उसका **मुख्य विषय क्या है**।

विधि में उपयोग (**Legal Use)** यह सिद्धांत Constitution of India के अंतर्गत तब लागू होता है जब:

- केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो

- या किसी कानून का विषय दूसरी सूची में आता हुआ दिखाई दे

👉 तब न्यायालय यह तय करता है कि कानून का **"मूल तत्व" किस सूची में आता है**।

उदाहरण (Example) अगर कोई राज्य कानून "व्यापार" (State List) से संबंधित है, लेकिन उसमें "बैंकिंग" (Union List) का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, 👉 तो देखा जाएगा कि उसका **मुख्य उद्देश्य क्या है**। अगर मुख्य उद्देश्य व्यापार है, तो कानून वैध रहेगा।

प्रमुख वाद (Case Law) Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce

👉 इस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया।

विधायी क्षमता (Legislative Competence)

विधायी क्षमता का अर्थ है किसी विधायिका (संसद या राज्य विधानमंडल) की वह **कानूनी शक्ति या अधिकार**, जिसके आधार पर वह **किसी विषय पर कानून बना सकती है**। 👉 सरल शब्दों में: -यह तय करता है कि **कौन (केंद्र या राज्य) किस विषय पर कानून बनाएगा**।

संवैधानिक आधार

विधायी क्षमता का निर्धारण निम्न प्रावधानों से होता है:

- **Article 246 of the Constitution of India**
- **Seventh Schedule of the Constitution of India**

शक्तियों का विभाजन संविधान ने विषयों को तीन सूचियों में बाँटा है:

1. **संघ सूची (Union List)**
   👉 केवल संसद कानून बना सकती है
2. **राज्य सूची (State List)**
   👉 केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है
3. **समवर्ती सूची (Concurrent List)**
   👉 दोनों (केंद्र और राज्य) कानून बना सकते हैं

कानून कब अवैध होगा?

यदि कोई कानून उस विधायिका द्वारा बनाया गया है जिसके पास उस विषय पर **अधिकार** (competence) **नहीं है**,
👉 तो वह कानून **अवैध** (Ultra Vires) माना जाएगा।

संबंधित सिद्धांत (Doctrines)

विधायी क्षमता निर्धारित करने के लिए न्यायालय निम्न सिद्धांतों का उपयोग करता है:

- **पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत**
- **रंगीन विधायन** (Colourable Legislation)
- **सामंजस्यपूर्ण व्याख्या** (Harmonious Construction)

यदि कोई राज्य सरकार **रक्षा** (Defence) जैसे विषय पर (जो संघ सूची में है) कानून बनाती है,
👉 तो वह कानून **अवैध** होगा क्योंकि राज्य के पास उस विषय पर विधायी क्षमता नहीं है।

मुख्य बिंदु (Exam Tip)

👉 विधायी क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है:

1. **विषय** (Subject Matter)
2. **क्षेत्रीय अधिकार** (Territorial Jurisdiction)

विधायी क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि **कानून सही प्राधिकरण द्वारा बनाए जाएँ**, जिससे केंद्र और राज्य के बीच **संतुलन बना रहे**।

पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

पिथ एंड सब्सटेंस का अर्थ है किसी कानून के **वास्तविक स्वरूप** (true nature) और **मूल विषय** (real subject matter) को समझना।

- **Pith (पिथ)** = वास्तविक सार / मूल उद्देश्य
- **Substance (सब्सटेंस)** = असली विषय-वस्तु

कानून का असली उद्देश्य क्या है, यही देखा जाता है — न कि उसका केवल बाहरी रूप।

संवैधानिक आधार

यह सिद्धांत निम्न प्रावधानों से संबंधित है:

- **Article 246 of the Constitution of India**
- **Seventh Schedule of the Constitution of India**

- केंद्र और राज्य के बीच **विधायी टकराव को सुलझाना**
- यह पता लगाना कि कानून **किस सूची** (**Union/State/Concurrent)** के अंतर्गत आता है

👉 यदि कोई कानून अपने **वास्तविक स्वरूप में वैध है**,
✓ तो वह **वैध रहेगा**, भले ही वह **अन्य सूची के विषय पर थोड़ा प्रभाव** (**incidental effect)** डाले।

📌 **Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce**

- इस केस में इस सिद्धांत को स्थापित किया गया
- कहा गया कि **आंशिक अतिक्रमण** (**incidental encroachment) स्वीकार्य है**

📌 **State of Bombay v. F.N. Balsara**

- राज्य का कानून वैध माना गया, भले ही उसका प्रभाव संघ सूची पर पड़ा

उदाहरण : - यदि राज्य सरकार **स्वास्थ्य** (**State List)** पर कानून बनाती है, और उसका थोड़ा प्रभाव **व्यापार** (**Union List)** पर पड़ता है, 👉 तो कानून वैध रहेगा, क्योंकि उसका **मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य है**।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- **रूप नहीं, सार** (**substance) देखा जाता है**
- **आंशिक अतिक्रमण स्वीकार्य है**
- यह सिद्धांत **संघीय संतुलन बनाए रखता है**

निष्कर्ष : - पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि **कानून का मूल्यांकन उसके वास्तविक उद्देश्य के आधार पर हो**, जिससे केंद्र और राज्य के बीच **संतुलन और स्पष्टता बनी रहे**।

पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत किसी कानून के **वास्तविक स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र** (**scope)** को जानने के लिए लागू किया जाता है। 👉 यह सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी कानून की **विधायी क्षमता** (**legislative competence)** को चुनौती दी जाती है।

- जब कोई कानून एक सूची के विषय पर होते हुए **दूसरी सूची को आंशिक रूप से प्रभावित करता है**,

- तब न्यायालय उस कानून के **वास्तविक विषय** (**real subject matter**) को देखता है।

👉 किसी कानून की संवैधानिकता का निर्णय उसके **वास्तविक स्वरूप** के आधार पर किया जाता है, न कि उसके **आकस्मिक प्रभाव** (**incidental effect**) के आधार पर।

✓ यदि कानून अपने वास्तविक स्वरूप में विधायिका की शक्ति के भीतर है, 👉 तो वह **वैध माना जाएगा**, भले ही वह अन्य सूची को प्रभावित करे।

यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि **कानून का मूल्यांकन उसके वास्तविक उद्देश्य के आधार पर हो**, जिससे **संघीय संतुलन बना रहे**।

case **Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce, Khulna**

📘 **तथ्य** (**Facts**)

- बंगाल विधानमंडल ने **Bengal Money-Lenders Act** पारित किया।
- यह कानून **सूदखोरी/ऋण** (**money-lending**) से संबंधित था, जो **राज्य सूची** का विषय है।
- लेकिन इस कानून का प्रभाव **प्रोमिसरी नोट** (**Promissory Note**) पर भी पड़ा, जो **संघ सूची** में आता है।

👉 इसलिए इस कानून को चुनौती दी गई कि:

- राज्य ने **संघ सूची के विषय में हस्तक्षेप** (**encroachment**) किया है।

👉 क्या यह कानून केवल इसलिए **अवैध** है क्योंकि इसका प्रभाव संघ सूची के विषय पर पड़ता है?

⚖️ **निर्णय** (**Judgment**)

✓ प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यह कानून **वैध** (**Valid**) है।

👉 क्योंकि:

- इसका **वास्तविक स्वरूप** (**Pith and Substance**) = **Money-lending (राज्य सूची)**
- संघ सूची पर प्रभाव केवल **आकस्मिक** (**Incidental**) है

🔹 **सिद्धांत** (**Principle**) 👉 कानून की वैधता उसके:

- **वास्तविक विषय** (**real subject matter**) पर निर्भर करती है
- न कि उसके **आकस्मिक प्रभाव** (**incidental effect**) पर

✓ **आंशिक अतिक्रमण** (**incidental encroachment**) **स्वीकार्य है**

❗ **महत्वपूर्ण सुधार** (**Important Correction**)

- ❌ यह कानून **केंद्र सरकार** ने नहीं बनाया
- ✓ यह **बंगाल राज्य विधानमंडल** द्वारा बनाया गया था
- ❌ यह **money laundering (मनी लॉन्ड्रिंग)** से संबंधित नहीं है
- ✓ यह **money-lending (ऋण/सूदखोरी)** से संबंधित है

👉 "यदि कोई कानून अपने वास्तविक स्वरूप में विधायिका की शक्ति के अंतर्गत आता है, तो वह वैध होगा, भले ही वह अन्य सूची को आंशिक रूप से प्रभावित करे।"

यह केस स्थापित करता है कि **न्यायालय कानून के वास्तविक उद्देश्य को देखेगा**, और केवल **आकस्मिक प्रभाव के आधार पर कानून को अवैध नहीं ठहराया जाएगा**।

In **Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce, Khulna**, the Court held that:
👉 The **pith and substance** of the *Bengal Money-Lenders Act* was **money-lending**, which is a **State subject**.
✓ Therefore, the Act was **valid**, even though it **incidentally touched upon promissory notes**, which fall under the **Union List**.
👉 The Court emphasized that **incidental encroachment does not make a law invalid**.

इस मामले में न्यायालय ने कहा कि:

👉 *Bengal Money-Lenders Act* का **पिथ एंड सब्सटेंस** (**वास्तविक स्वरूप**) **मनी-लेंडिंग** (**ऋण देना**) है, जो **राज्य सूची** का विषय है। ✓ इसलिए यह कानून **वैध है**, भले ही इसका **आकस्मिक प्रभाव** (**incidental effect**) **प्रोमिसरी नोट** (संघ सूची का विषय) पर पड़ता हो।

👉 न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **आंशिक अतिक्रमण** (**incidental encroachment**) **से कानून अवैध नहीं होता**।

📘 **रंगीन विधायन का सिद्धांत**

👉 अर्थ: **"जो सीधे नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।"**

⚖️ **मामला**: **K.C. Gajapati Narayan Deo v. State of Orissa**

- न्यायालय ने कहा कि:
  ✓ यदि विधायिका के पास **विधायी शक्ति है**, तो कानून **वैध** होगा
  ✓ केवल उद्देश्य (motive) के आधार पर कानून अवैध नहीं होगा

- यह सिद्धांत **विधायी क्षमता की कमी** को जांचता है
- यह **संविधान पर धोखा** (**fraud on Constitution**) को रोकता है

👉 "विधायिका जो सीधे नहीं कर सकती, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती।"

✅ **निष्कर्ष :-** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि **विधायिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे**, और संविधान का **दुरुपयोग न हो**।

Article 248 of the Constitution of India के अनुसार: 👉 संसद को यह **विशेष** (exclusive) **अधिकार** है कि वह **ऐसे विषयों पर कानून बनाए जो सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं हैं।**

✓ इसमें शामिल है:

- नए या अज्ञात विषयों पर कानून बनाना
- ऐसे कर लगाना जो किसी सूची में वर्णित नहीं हैं

उद्देश्य (Object)

👉 इस शक्ति का उद्देश्य है:

- कानून में **किसी भी प्रकार की कमी** (gap) **को दूर करना**
- यह सुनिश्चित करना कि **कोई विषय बिना कानून के न रहे**
- **विधायी विवाद या भ्रम** (conflict/confusion) को समाप्त करना

निष्कर्ष :- 👉 अनुच्छेद 248 संसद को **अवशिष्ट विषयों पर पूर्ण अधिकार** देता है, जिससे संविधान **लचीला और प्रभावी** बना रहता है।

Article 240 of the Constitution of India के अनुसार:

👉 राष्ट्रपति को कुछ **केंद्र शासित प्रदेशों** के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जैसे:

- दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
- लक्षद्वीप
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

👉 यह कानून बनाए जाते हैं:

✓ **शांति (Peace)**

✓ **प्रगति (Progress)**

✓ **सुशासन (Good Governance)** के लिए

✓ राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए ये नियम **संसद के कानून के समान प्रभाव रखते हैं।**

🔹 **षष्ठम अनुसूची** (**Sixth Schedule**)

👉 यह निम्न राज्यों पर लागू होती है:

- असम
- मेघालय
- त्रिपुरा
- मिजोरम

👉 यहाँ **स्वायत्त जिला परिषद** (**Autonomous District Councils**) को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 👉 राज्यपाल को भी **शांति, प्रगति और सुशासन** के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।

❗ **महत्वपूर्ण सुधार**

❌ सभी शक्तियाँ केवल राज्यपाल के पास नहीं होतीं

✓ शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं में विभाजित होती हैं

👉 यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार के पास **कोई शक्ति नहीं है**

✓ सही निष्कर्ष: 👉 केंद्र की शक्ति **सीमित** (**limited**) है, लेकिन **पूरी तरह समाप्त नहीं**

🔑 **अंतिम निष्कर्ष**

👉 केंद्र सरकार की विधायी शक्ति **न तो पूर्ण (absolute) है और न ही शून्य (zero)** 👉 बल्कि यह **संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित** है।

अर्थ Ex Post Facto Law का अर्थ है: 👉 ऐसा कानून जो **पिछली तारीख से लागू होकर सजा देता है**

- **अनुच्छेद 20(1)** ✓ किसी व्यक्ति को:
  - उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो पहले अपराध नहीं था
  - पहले से अधिक सजा नहीं दी जा सकती

👉 यह अनुच्छेद व्यक्ति को **पिछली तारीख से लागू होने वाले दंडात्मक कानूनों से सुरक्षा** प्रदान करता है।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) – राष्ट्रीय आपातकाल वह स्थिति है जब देश की **सुरक्षा को गंभीर खतरा** हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति, **संविधान के अनुच्छेद 352** के तहत आपातकाल घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है कि देश में **असाधारण संकट** उत्पन्न हो गया है और सामान्य शासन व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है।

आपातकाल के आधार
राष्ट्रपति निम्न तीन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं—

1. **युद्ध (War)**
2. **बाहरी आक्रमण (External Aggression)**
3. **सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)**
   (पहले इसे 'आंतरिक अशांति' कहा जाता था)

- **घोषणा की प्रक्रिया**
  - राष्ट्रपति, **मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)** की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित करते हैं।
  - इसे **संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के अंदर अनुमोदित** करना आवश्यक है।

- **राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव**
  1. **केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है**
     केंद्र, राज्यों को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है।
  2. **मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं**
     - अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है।
     - अन्य अधिकार भी सीमित किए जा सकते हैं।
  3. **संसद की शक्ति बढ़ जाती है**
     संसद, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

- **अवधि (Duration)**
  - प्रारंभ में **6 महीने** के लिए लागू होता है।
  - हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

सन् 1975 में Indira Gandhi द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, जो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

राष्ट्रीय आपातकाल एक **अत्यंत महत्वपूर्ण और असाधारण शक्ति** है, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा करना है, लेकिन इसका उपयोग **सावधानी और जिम्मेदारी से** किया जाना चाहिए।

**********==========**********==========**********

01-4-026 time 9.30 am period 1 Wednesday
art 356 president rule state emergency

राष्ट्रपति शासन / राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) – अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में **संवैधानिक व्यवस्था (Constitutional Machinery)** विफल हो जाती है, तब **राष्ट्रपति शासन (President's Rule)** लागू किया जाता है। इसे **State Emergency** भी कहा जाता है।

जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में असमर्थ हो जाती है, तब केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है—इसे ही **राष्ट्रपति शासन** कहते हैं।

- **आधार (Grounds)** राष्ट्रपति शासन निम्न परिस्थितियों में लगाया जाता है—
  1. राज्य में **संवैधानिक तंत्र की विफलता**
  2. **राज्यपाल की रिपोर्ट** के आधार पर
  3. या राष्ट्रपति स्वयं भी संतुष्ट हो सकते हैं

- **घोषणा की प्रक्रिया**
  - राष्ट्रपति, अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा करते हैं।
  - इसे **संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित** करना आवश्यक होता है।

- **प्रभाव (Effects)**
  1. **राज्य सरकार समाप्त हो जाती है**
     मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हटा दिए जाते हैं।
  2. **राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते हैं**
  3. **राज्य विधानसभा (Legislative Assembly)**
     - भंग (dissolve) या निलंबित (suspended) की जा सकती है।
  4. **संसद राज्य के विषयों पर कानून बनाती है**

- **अवधि (Duration)**
  - प्रारंभ में **6 महीने** के लिए लागू होता है।
  - अधिकतम **3 वर्ष (3 years)** तक बढ़ाया जा सकता है (कुछ शर्तों के साथ)।

- **महत्वपूर्ण निर्णय (Case Law)** **S. R. Bommai v. Union of India**

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि—

- राष्ट्रपति शासन **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)** के अधीन है।
- इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

भारत में कई बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जैसे—राजनीतिक अस्थिरता या बहुमत सिद्ध न होने पर।

अनुच्छेद 356 एक **महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील प्रावधान** है, जिसका उद्देश्य राज्य में संविधान की रक्षा करना है, परंतु इसका **दुरुपयोग रोकना आवश्यक है**। **President's Rule / State Emergency (Article 356) –**

अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 – सरल व्याख्या (भारतीय संविधान)

🔹 **अनुच्छेद 355 – संघ का कर्तव्य (Duty of the Union)**

अर्थ -- अनुच्छेद 355 के अनुसार, **केंद्र सरकार (Union)** का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।

प्रावधान

केंद्र का कर्तव्य है—

1. **राज्यों को बाहरी आक्रमण (External Aggression) और आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) से सुरक्षा देना**
2. यह सुनिश्चित करना कि **राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चल रही है**

प्रकृति (Nature)

- यह एक **कर्तव्य (Duty)** है, कोई आपातकाल नहीं
- यह **अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)** लागू करने का आधार बन सकता है

🔹 **अनुच्छेद 365 – केंद्र के निर्देशों का पालन न करना**

अर्थ --अनुच्छेद 365 उस स्थिति से संबंधित है जब कोई राज्य **केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता**।

प्रावधान

- यदि कोई राज्य, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में **विफल रहता है**,
  तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि **राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है**

परिणाम

- ऐसी स्थिति में **अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है**

🔹 **अनुच्छेद 355, 356 और 365 का संबंध**

👉 सरल तरीके से समझें:

- **अनुच्छेद 355 = कर्तव्य (Duty)**
- **अनुच्छेद 365 = चेतावनी/स्थिति (Failure to follow directions)**
- **अनुच्छेद 356 = कार्रवाई (President's Rule)**

अनुच्छेद 355 और 365, दोनों ही **राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।

राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो **राज्य आपातकाल (State Emergency)** या **राष्ट्रपति शासन (President's Rule)** से संबंधित है।
यह कहता है कि— **यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्य किसी माध्यम से यह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वह इस संबंध में उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर सकता है।**

राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि **राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है**, इसलिए **केंद्र सरकार राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है**।

- **आधार (Grounds)**
  1. **संवैधानिक तंत्र की विफलता**
  2. **राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर**
  3. या **राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर**

इस प्रकार, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह **राज्य में संविधान के अनुसार शासन न चल पाने की स्थिति में राज्य आपातकाल लागू कर सके।**

राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) की अवधि

1. **प्रारंभिक अवधि**
   - राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में **6 महीने** के लिए लागू होता है।
2. **संसद की स्वीकृति**
   - घोषणा को **2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन** आवश्यक है।
3. **विस्तार (Extension)**
   - इसे हर **6 महीने** में संसद की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है।
4. **अधिकतम अवधि**
   - अधिकतम अवधि **3 वर्ष** है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए शर्तें हैं:
     - देश में **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)** लागू हो, और
     - **निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे** कि चुनाव कराना संभव नहीं है।

- **महत्वपूर्ण वाद (Case Law) S. R. Bommai v. Union of India**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:
    - राष्ट्रपति शासन **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है
    - इसका **राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जा सकता**
    - बहुमत का परीक्षण **विधानसभा में होना चाहिए**

इस प्रकार, राष्ट्रपति शासन अधिकतम **3 वर्ष तक** चल सकता है, लेकिन इसका उपयोग **संवैधानिक सीमाओं के भीतर** होना चाहिए।